चेन्नै भारती

अंक : 25 वर्ष : 2021-22

आज़ादी का अमृत महोत्सव

चेन्नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक/वि.सं.) की हिन्दी पत्रिका

दिनांक 10.01.2022 को नराकास के तत्वावधान में इंडियन बैंक द्वारा आयोजित विश्व हिन्दी दिवस के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री शांति लाल जैन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इंडियन बैंक व अध्यक्ष, नराकास (बैंक/वि.सं.), चेन्नै।

नराकास के तत्वावधान में इंडियन बैंक द्वारा विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री शांति लाल जैन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन बैंक व अध्यक्ष, नराकास (बैंक/वि.सं.), चेन्नै द्वारा इंडियन बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका (इंड छवि) के "विश्व हिन्दी दिवस विशेषांक" का विमोचन किया गया।

चेन्नै भारती

अंक : 25 वर्ष : 2021-22

संपादक मण्डल

संरक्षक

श्री शांति लाल जैन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
इंडियन बैंक,
अध्यक्ष, नराकास (बैंक/वि.सं.), चेन्नै

मुख्य संपादक

श्री अजय कुमार

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), इंडियन बैंक
सदस्य सचिव, नराकास (बैंक/वि.सं.), चेन्नै

अंक संपादक

श्री जगदीश चंद्र

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै

संपादक

श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला

प्रबंधक (राजभाषा)
इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

संपादन सहयोग

श्रीमती एम. सुमति : मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), इंडियन बैंक

श्री हितेन्द्र धूमाल : मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सुश्री आलोचना शर्मा : वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), इंडियन बैंक

श्री ए. सूर्यप्रकाश : प्रबंधक (राजभाषा), युनाइटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लिमिटेड

सुश्री के. यमुना : सहायक प्रबंधक (राजभाषा), नाबार्ड

मुद्रक : आर एन ग्राफिक्स - 8010872289

पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं रचनाओं में व्यक्त विचार, लेखकों के अपने हैं। इंडियन बैंक का उनसे सहमत होना जरूरी नहीं है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों एवं रचनाओं के लेखकों एवं रचनाकारों से मौलिकता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।

अनुक्रमणिका

विषय — पृष्ठ संख्या

1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन बैंक/अध्यक्ष, नराकास (बैंक/वि.सं.) का संदेश 2
   सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) व सदस्य सचिव नराकास (बैंक/वि.सं.) का संदेश 3
   अंक संपादक का संदेश 4
   संपादकीय 5
2. हिंदी का साहित्येतर स्वरूप 6
3. हिन्दी भाषा के समाजीकरण एवं राजनीतिकरण में साहित्यकार और मीडिया 8
4. बैंकिंग का बदलता स्वरूप और हिंदी 10
5. शाखा का बेहतर प्रबंधन कैसे करें 12
6. बैंकों में हिंदी भाषा का स्वरूप और मीडिया 14
7. मेरी हिन्दी बनेगी विश्व की बिंदी 16
8. भारतीय कला और संस्कृति का मौजूदा स्वरूप 17
9. हिन्दी साहित्य और अनुवाद 34
10. जल्लीकट्टू 36
11. वर्तमान के बदलते परिवेश में बीमा क्षेत्र में ऑनलाइन सेवाओं का महत्व 39
12. इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग 42
13. मोबाइल व्रत 44

संयोजक : इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

कॉर्पोरेट कार्यालय, राजभाषा विभाग,
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रॉयपेट्टा,
चेन्नै - 600 014

वेबसाइट : www.indianbank.co.in

ई-मेल : chennaibankstolic@indianbank.co.in

अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक/वि.सं.), चेन्नै का संदेश

यह हर्ष का विषय है कि हमारी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक/वि.सं.), चेन्नै द्वारा वार्षिक हिन्दी पत्रिका **"चेन्नै भारती"** का प्रकाशन किया जा रहा है तथा मुझे इस नवीन अंक के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का मौका मिल रहा है।

किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में उस देश की भाषा का अहम योगदान होता है। कोई भी भाषा या बोली सिर्फ विकास की वाहिका ही नहीं, अपितु राष्ट्र की संस्कृति एवं सभ्यता के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन भी होती है। हम सब जानते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसका प्रमुख कारण था कि हिन्दी भाषा हमारे देश के अधिकतम जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती थी। हिन्दी एक अत्यंत सरल, समृद्ध और सशक्त भाषा है और भारत की सांस्कृतिक एकता की मजबूत कड़ी है। हिन्दी सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखने का कार्य करती है। बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कम्पनी जैसे सेवा क्षेत्र में भाषा का बहुत अधिक महत्व होता है। ग्राहकों के साथ उनकी भाषा में संवाद करने पर उनके साथ संबंध प्रगाढ़ बनता है।

हमारी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सदा प्रयास रहा है कि हम अपने कार्यालय में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों में हिन्दी भाषा के प्रति जागरूकता एवं उत्सुकता उत्पन्न करें। इस उद्देश्य से समिति द्वारा समय-समय पर अंतर बैंक हिन्दी प्रतियोगिताएँ एवं विविध हिन्दी कार्यक्रम, संगोष्ठियां एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। समिति की अर्धवार्षिक बैठकों में कार्यालय प्रमुखों की शत-प्रतिशत उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि तमिलनाडु राज्य में होने के बावजूद भी हमारे सभी सदस्य कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति सजग हैं और अपने दायित्वों को पूरी तरह से निभा रहे हैं।

हम सभी का संवैधानिक कर्तव्य है कि हम हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार अपने-अपने कार्यालयों में करें और अपना कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में भी करें। राजभाषा में काम कर हम अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, साथ ही राष्ट्र निर्माण में भी अहम योगदान देते हैं।

आइए, राजभाषा हिन्दी की प्रगति और प्रचार-प्रसार की दिशा में हम सभी मिलकर कार्य करें।

शांति लाल जैन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन बैंक
अध्यक्ष, नराकास (बैंक/वि.सं.), चेन्नै

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) व सदस्य सचिव नराकास (बैंक/वि.सं.), चेन्नै का संदेश

साथियो,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक/वि.सं.), चेन्नै की पत्रिका **"चेन्नै भारती"** के 25वें अंक को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है। भाषा मूलत: भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। किन्तु भाषा का व्यवहार क्षेत्र काफी व्यापक एवं वैविध्य पूर्ण है। स्वभावत: भाषा काफी संवेदनशील होती है। आज पूरे विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। इस रूप में देखें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान युग में कोई भी भाषा वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी विषयों से जुड़े बिना नहीं पनप सकती है। आज का युग सूचना, संचार व विचार का युग है।

चूँकि वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, सभी कार्यालयों में तमाम काम कंप्यूटरों पर ही किए जाते हैं। रोजमर्रा की जिन्दगी मानो सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। मोबाइल फोन, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग से लेकर रेलवे आरक्षण, ऑनलाइन शॉपिंग, आदि तक सूचना प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। हिंदी सॉफ्टवेयर स्थानीयकरण का कार्य सर्वप्रथम सी-डैक द्वारा 90 के दशक में किया गया था। वर्तमान में हिंदी भाषा के लिये कई संगठन कार्य करते हैं, जिसमें सी-डैक, गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान और अनेक गैर सरकारी संगठन भी हैं।

मौजूदा समय में हिंदी "ग्लोबल हिंदी" में परिवर्तित हो गयी है, आज तकनीकी विकास के युग में दूसरे देशों के लोग भी, विपणन के लिए ही सही, हिंदी भाषा सीख रहे हैं। आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य आरंभ हुआ और इसी तरह कोडिंग व डिकोडिंग के माध्यम से विश्व की विभिन्न भाषाएँ भी कंप्यूटर पर सुलभ होने लगी, इस तकनीकी विकास ने भारतीय भाषाओं को जोड़ा है, कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न सॉफ्टवेयरों, सी-डैक संस्था के हिंदी सीखने-सिखाने के विभिन्न कंप्यूटरीकृत कार्यक्रमों जैसे-प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के लिए लीला वाचिक तकनीक के प्रयोग ने भाषा सीखने की प्रक्रिया को विभिन्न भाषा माध्यमों से बिलकुल आसान बना दिया, जिससे भाषायी निकटता का उदय हुआ।

शुभकामनाओं सहित।

अजयकुमार

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)

सदस्य सचिव, नराकास (बैंक/वि.सं.), चेन्नै

अंक संपादक की कलम से .....

प्रिय पाठकगण,

चेन्नै भारती का 25वां अंक आप सभी को सौंपते हुए असीम हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। इस पत्रिका के माध्यम से आप सभी से पहली बार मुखातिब होने का अवसर मिला है जो कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नराकास (बैंक/वि.सं) चेन्नै की ओर से नियमित रूप से चेन्नै भारती पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

बैंकर होने के नाते, हमें अपने मुख्य आस्ति ग्राहकों की सुविधाओं को केंद्र में रखकर ही अपने सारे कार्य करने होते हैं। निस्संदेह ग्राहक बैंक के ब्रांड एमबेस्डर होते हैं। सभी बैंक बाजार का अवलोकन करने के पश्चात ही ग्राहकों के लिए अनेक नवीन उत्पाद लेकर आते हैं। लेकिन कई बार यह देखने में आया है कि बहुतेरे नवीनताओं को समेटे यह उत्पाद, ग्राहकों तक अपनी सुगम पहुँच बनाने में नाकाम रहते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, शायद उनमें से एक महत्वपूर्ण कारक भाषा भी हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक से अधिक उत्पादों के नाम दिए जाएँ। आपको मालूम है कि ग्राहक बाजार की भाषा 'टेस्ट द थंडर' से अधिक 'ठंडा मतलब कोका कोला' समझता है। हम सभी को अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए कि अपने कार्यालय में भारतीय भाषाओं को पनपने का अनुकूल वातावरण तैयार करें और उसे राजभाषा के साथ प्रयोग में लाएँ।

चेन्नै भारती के लिए अपने लेखन के माध्यम से योगदान देने वाले सभी रचनाकारों एवं कवियों को हार्दिक धन्यवाद। संपादक मंडली ने पत्रिका को गुणवत्तापरक एवं ज्ञानवर्धक बनाने के अथाह प्रयास किए हैं। हमें विश्वास है चेन्नै भारती का यह नवीनतम अंक आप सभी को अवश्य पसंद आएगा।

शुभकामनाओं सहित......

जगदीश चंद्र

सहायक महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै

संपादक
की कलम से .....

प्रिय पाठकगण,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक/वि.सं.), चेन्नै की वार्षिक पत्रिका **"चेन्नै भारती"** का 25वां अंक, वर्ष 2021-22 आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। हम जानते हैं कि हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन नराकास के प्रमुख कार्यों में से एक है तथा यह राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करती है।

सृष्टि के सभी जीवों में मानव श्रेष्ठ जीव है। उसने अपनी बुद्धि और विवेक का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए शाब्दिक भाषा का अधिकाधिक विकास किया। भाषा भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह किसी समाज, संस्कृति या किसी राष्ट्र की द्योतक होती है। अंतिम दशक में हमने देखा है कि आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा बाजारीकरण ने हमारी कार्य संस्कृति पर प्रभाव डाला। अस्तु हिन्दी भाषा भी इससे अछूती नहीं रह सकती है और इन प्रक्रियाओं के संयुक्त प्रभाव के रूप में हम देखते हैं कि हिन्दी अब इंटरनेट, समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों आदि में देखने को मिल रही है।

इस अंक में हमने भाषा साहित्य, बैंकिंग व बीमा क्षेत्र में भाषा के प्रभाव विषय को प्रमुखता से दर्शाया है और हमारे सदस्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों द्वारा स्वयं रचित रचना को भी स्थान दिया है इस अंक में नराकास की विभिन्न गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

निराला

सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
प्रबंधक (राजभाषा)
इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय चेन्नै

हिंदी का साहित्येतर स्वरूप

तेजिंदर सिंह
अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक
मंडल कार्यालय - चेन्नै दक्षिण

हिंदी सिर्फ साहित्य की भाषा नहीं है, वह भारत जैसे विशाल बहुभाषी समाज में आम जनता के बीच जन-संपर्क की भाषा है। जन-संपर्क के सूत्र शुरू से ही हिंदी में रहे हैं। अगर हम हिंदी भाषा के भाषायी विकास की परंपरा को ध्यान में रखें तो हम यह समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा का विकास जनतांत्रिक आधार पर हुआ है। वस्तुत: भाषाओं का विकास ही जनतांत्रिक आधार पर होता है। किसी भी भाषा का विकास जातीय भाषाओं के सहयोग से ही होता है। दूसरी जन-बोलियों और स्थानीय विशेषताओं को ग्रहण करने की क्षमता किसी भी भाषा को, मुख्य भाषा के रूप में उसके विकास को चिन्हित करती है।

हिंदी का अन्त: प्रांतीय स्वरूप और उसके अहिन्दी भाषी राज्यों में स्वीकृति ने उसे राष्ट्रीय चेतना के व्यापक प्रचार-प्रसार से जोड़ा। हिंदी के साथ राष्ट्रीय चेतना के जुड़ाव ने उसे आजाद भारत की भाषायी पहचान दी। किन्तु हिंदी को राष्ट्रवादी पहचान सिर्फ उसके विपुल रचनात्मक साहित्य और समृद्ध साहित्यिक परंपरा के कारण नहीं मिली; बल्कि हिंदी की जनसुलभता ने उसे राष्ट्रीय चेतना का जनवाहक बनाया। यद्धपि हिंदी के विकास और उसे समृद्ध बनाने में साहित्य का विशेष महत्त्व रहा है किन्तु हिंदी की जनस्वीकृति मात्र उसके रचनात्मक संसार के कारण नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा की अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण है जिसे आमतौर पर भुला दिया जाता है।

महात्मा गाँधी ने 'हिन्दुस्तानी' के प्रचार-प्रसार और उसके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर जोर डाला। प्रेमचंद ने भी हिन्दुस्तानी का समर्थन किया यानी खड़ी बोली हिंदी का वह स्वरूप, जो जनता के सर्वाधिक नजदीक था। दरअसल हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना उसकी सर्व-जनसुलभता और सहजता को ही प्रदर्शित करता है।

किसी भाषा की सहजता और उस भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने वाले वर्ग के बीच मानसिक और सामाजिक सम्बन्ध होता है। उस भाषा के शब्द रूप भी उस वर्ग के सांस्कृतिक, सामाजिक और बहुत हद तक आर्थिक परिवेश से जुड़कर चलते हैं। मानक हिंदी और सहज हिंदी तथा संवैधानिक हिंदी और हिन्दुस्तानी के बीच साहित्यिक हिंदी और अकादमिक हिंदी (साहित्येतर ज्ञान के अनुशासनों) के रूप में हिंदी और हिंदी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने वाले वर्ग के बीच अवसरवादी समझौता होता है। किसी सांसद की हिंदी और किसी रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति की हिंदी में अंतर होता है। दोनों की जरूरतें अलग अलग हैं, इस कारण इनकी भाषा की अभिव्यक्ति एवं भाषायी सरोकारों में भी अंतर होता है। मानक हिंदी का जो रूप संवैधानिक कार्यक्रमों में उपलब्ध होता है, वह हिंदी अंग्रेजी से भी क्लिष्ट है। क्योंकि उसका स्त्रोत संस्कृत भाषा है। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली और साथ ही हिंदी के विकास और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि 'संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएँ, इसका विकास करें। ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रवृति में हस्तक्षेप के

बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं सूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत में से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।' हिन्दी की प्रवृति का जितना साम्य संस्कृत से है, उतना हिंदुस्तानी और दूसरी भाषाओं के साथ नहीं। हिंदुस्तानी को एक तरह से फारसी-उर्दू से प्रभावित हिन्दी माना जाता रहा है, जिस कारण हिंदुस्तानी को गांधी द्वारा अनुमोदित किए जाने पर भी संवैधानिक भाषा या राजभाषा नहीं बनाया गया । अब अगर हिन्दी को भारत की सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करना है तो वह अपनी प्रवृति के अनुसार भी और अपने शब्द भंडार के लिए भी मुख्यत: संस्कृत की ओर झुकी हो, अंतत: हिन्दी को आज भी अपने नए शब्द-रूपों के लिए अगर संस्कृत की ओर देखना पड़े, तो यह एक बहुत विडंबनात्मक स्थिति है।

संस्कृत हिन्दी की जननी है, वह किन्हीं विशेष संदर्भ में हिन्दी से श्रेष्ठ भी हो सकती है, किन्तु आज के समय में संस्कृत विगत युग की भाषा है। अत: हम नए शब्द-रूपों, जिनकी संभावना संस्कृत में दूर-दूर तक नहीं दिखती, के लिए संस्कृत से आभार ग्रहण करने के लिए खड़े हैं। संस्कृत हिन्दी के लिए प्रेरणादायी स्त्रोत है। यह बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए किन्तु जिस प्रकार की हिन्दी संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है वह संस्कृतनिष्ठ हिन्दी है। यह हिन्दी किसी एक वर्ग के लिए कार्यालयीन प्रयोजनों या संसदीय प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है लेकिन यह हिन्दी सर्व-जनसुलभता की अपनी विशिष्टता को प्राप्त नहीं होती। अत: राजकीय हिन्दी पर एक विशेष वर्ग का आधिपत्य है, वह हिन्दी का एक सीमित वर्ग है किन्तु वही हिन्दी के सिपहसलार भी हैं।

दूसरी ओर हिन्दी का साहित्येतर स्वरूप भी है। हिन्दी में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। नया साहित्य भाषा की नवीनता लेकर आता है। लेकिन हिन्दी में बेहतर साहित्यिक उपलब्धियों के बावजूद यह बात ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए कि हिन्दी को पठन-पाठन की माध्यम भाषा भी बनाना है। हिन्दी माध्यम से पढ़ाई करने वाले वर्ग में एक तरह का असंतोष होता है। पहला प्रश्न तो साहित्य के अलावा दूसरे ज्ञानानुशासनों की पुस्तकों की उपलब्धि है, जो हिन्दी में सहजता से उपलब्ध नहीं। दूसरा, कोई सांसद चाहे जितनी अच्छी हिन्दी बोलता हो, उसकी पीढ़ी हिन्दी माध्यम विद्यालयों में नहीं पढ़ती। किन्तु एक रिक्शा चलाने वाला चाहे उसे हिन्दी की मानक व्याकरणिक स्थिति का बोध न हो फिर भी वहीं से हिन्दी पढ़ने वालों की एक बड़ी संख्या आती है। हिन्दी चलचित्रों और हिन्दी गीतों का जितना क्रेज है, उतना क्रेज हिन्दी को व्यवहार में लाने के प्रति नहीं है।

हिन्दी के प्रति प्रेम के कारण हिन्दी फिल्मों के गानों को ज्यादा से ज्यादा लोग सुनते हैं। हिन्दी की सहजता और उसकी भाषायी विशिष्टता लोगों को उसकी ओर खींचती है लेकिन जब हिन्दी से उसकी सहजता और स्वाभाविकता को ही हटा दिया जाता है तो वह हिन्दी अपने देश में ही विदेशी भाषा की तरह प्रतीत होती है, जिसे नए सिरे से प्रयासरत होकर सीखना होगा।

हिन्दी के साथ विडम्बना यही है कि इसे सुबोधगम्य और सहज अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने और उसे राजभाषा के रूप में व्यवहार में लाने वाली परिस्थितियां एक-दूसरे के विपरीत पड़ती हैं। इससे हिन्दी के दो रूप बन जाते हैं। एक ऐसी हिन्दी जिसे समझना-बोलना अत्यंत कठिन है तथा जिसे सीख पाना भी सहज नहीं है। दूसरी वह हिन्दी जिसे बिना किसी प्रयास के ही भारत के किसी भी प्रदेश का व्यक्ति सहजतापूर्वक सुनता, समझता और बोलता है। साहित्यिक चर्चा-परिचर्चा के बाहर भी हिन्दी का व्यापक दायरा है जो कि उसके उत्तरदायित्व से जुड़ा है। हिन्दी को जो दायित्व पूरे करने हैं, उस पर भी विचार-विमर्श आवश्यक है। हिन्दी की विशिष्ट भाषायी प्रवृति को समझकर और उसे सहेज कर ही हिन्दी को भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं।

हिन्दी भाषा के सामाजीकरण एवं राजनीतिकरण में साहित्यकार और मीडिया

सचिन दास
राजभाषा अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक
मंडल कार्यालय, चेन्नै दक्षिण

एक जमाने में जो कुछ भारतीय था, वह भारतीयों द्वारा हिन्दी कहा जाता था। अत: यह शब्द एक समय सभी भारतीय भाषाओं का द्योतक था। बाद में यह 'हिन्दी शब्द 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों का सामूहिक नाम बन गया, जिसे आज हिन्दी भाषी क्षेत्र कहते हैं। आज जब भारतवर्ष अलगाववाद की राजनीति से ग्रसित है, हमें यह याद रखना होगा कि मूलत: हिन्दी शब्द धर्म, भाषा, जाति, नस्ल से परे समूची भारतीयता का सूचक है। प्राचीन भारत में संस्कृत, पाली, शौरसेनी देश की संपर्क भाषा और राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही है। विदेशी आक्रमण के बाद मुसलमान शासन काल में देशीय भाषा कि राजभाषा परंपरा टूट गयी और फारसी ने यह स्थान ले लिया, फिर अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया, हिन्दी को नहीं। लेकिन इन तमाम षडयंत्रों के बावजूद भी हिन्दी समूची देश में संपर्क भाषा के रूप में अपना स्थान बनाए रखने में सफल रही।

हिन्दी की आलोचना करना आज एक फैशन हो गया है। हिंदीतर भाषी लोगों कि समस्याएँ तो समझ में आती हैं लेकिन हिन्दी के विरोध में कई बार हिन्दी भाषी ही मुखर हो उठते हैं। कार्यालयों में हिन्दी की टिप्पणी उनके लिए आश्चर्य होती है। वे सम्पूर्ण बुद्धि कौशल से यह प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि हिन्दी अभी इतनी विकसित नहीं है कि- प्रशासनिक विचार विमर्श का माध्यम बन सके। यह आश्चर्य की बात है कि जिस भाषा को वह बचपन से सीखते हैं, युवावस्था में जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी संवेदनाओं को प्रकट किया है और घर में आज भी लिखने, पढ़ने और बोलने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा का वे इतना ज्ञान संचित नहीं कर पाए हैं कि उसके माध्यम से अधीनस्थों को निर्देश दे सकें अथवा उच्चस्थों को सुझाव प्रस्तुत कर सकें। राजनीतिक खेमेबंदी के ज्वार में आज यह कहा जा रहा है कि हिंदी किसी पर लादी नहीं जाएगी। इस तरह की बात कहने वालों का आशय शायद यह होता है कि अंग्रेजी सबकी सहमती से विश्वविद्यालयों, कार्यालयों और व्यापारिक संगठनों में चला दी जाए। खेद का विषय है कि ऐसा कहते समय हम हाल-फिलहाल का अपना इतिहास भूल जाते हैं। स्वाधीनता के लगभग 70 वर्षों बाद भी, यह कहना कि - 'हिंदी किसी पर लादी नहीं जाएगी' (गरज कि हिंदी का प्रशिक्षण हिंदी लादने जैसा है) एक हास्यास्पद फैशन है। फैशन इतिहास नहीं होता, यह सामयिक सुविधा और मौकापरस्ती के लिए लगाया गया मुखौटा है। भाषा व्यक्ति और समाज

का अभिन्न अंग हुआ करती है, इस नाते इसका सम्बन्ध देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में जोड़ना है। भाषा किसी जाति की अस्मिता का परिचायक हुआ करती है।

साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है और साहित्यकार की रचनाएँ इस दर्पण की प्रतिबिम्ब। ऐसी अवस्था में साहित्यकार के कंधो पर दुगनी जिम्मेदारी है। साहित्यकार भाषा को जांच-परख कर अपनी रचना का साधन बनाता है, फिर उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा जनता की जुबान पर आसानी से चढ़ जाती है। कबीर, तुलसी, पंत, निराला, प्रेमचंद, नागार्जुन ने भाषा को जिस तरह मांजा, परिष्कृत किया और फिर लेखनी को गति दी कि इनकी कविताएं जनता- चाहे वह उच्च शिक्षित हो अथवा अल्पशिक्षित इनकी कविताएं श्लोक की तरह कंठस्थ हो गई हैं। नागार्जुन की कविता 'चंदू, मैंने सपना देखा' में एक पंक्ति द्रष्टव्य है -

"चंदू, मैंने सपना देखा
उछल रहे ज्यों हिरनौटा।"

यहाँ 'हिरनौटा' शब्द संस्कृत का एक शब्द जो समय के प्रवाह में धूमिल होता गया लेकिन इस शब्द का फिर एक बार प्रयोग कर नागार्जुन ने एक नई खूबसूरती दी है। इस तरह हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा के पद पर आसीन करने की जिम्मेदारी लेखक के कंधों पर है क्योंकि सामाजिक गतिविधि के हर एक पलों का वह द्रष्टा एवं सृष्टा दोनों है। आज साहित्यकारों को यह जरूरत है कि - वह भाषाई राजनीति के खेमेबंदी से बाहर निकल हिंदी को फलने-फूलने में अपना योगदान दे। हाल में ही भोजपुरी को हिंदी से अलग करने की राजनीति गर्म है। यह निकट भविष्य के लिए एक खतरनाक स्थिति है।

जहां तक मीडिया का सवाल है तो यह कहना गलत होगा कि - मीडिया भाषा को खराब कर रहा है। दरअसल इलेक्ट्रोनिक मीडिया साहित्य की तुलना में बहुत बड़ा मास मीडिया है, जिसकी पहुँच दूर-दूर तक है। भाषा की भ्रष्टता का मसला अपने चयन का मसला है। कोई शुद्ध भाषा को चुनता है, कोई भदेस को। हाँ, एक तथ्य अवश्य चिंतनीय माना जाना चाहिए कि- कोई अखबार या चैनल षडयंत्र पूर्वक आपकी भाषा को विदेशी शब्दों से अस्वाभाविक रूप दे। अमेजन के माध्यम से दुनिया भर में इन्टरनेट के जरिए सबसे अधिक किताबें बिक रही हैं तो यह मीडिया और साहित्य की दोस्ती का प्रतीक है। इन्टरनेट ने लेखन को बरसों बरस डायरी में कैद रहने से मुक्त कर दिया है। ऑनलाइन सक्रिय अनेक ब्लॉग और चर्चा मंच इसके साक्षी है। यह भी भाषा विस्तार का एक पहलु है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यदि भाषा को कल तक जीवित रखना है तो उसे आज कम्पूटर साध्य बनाना पड़ेगा और हिंदी इस यात्रा में प्रगति कर रही है। कहते हैं कि मीडिया में समाज बदलने की ताकत है। मीडिया सामाजिक परिवर्तन का हथियार है लेकिन मीडिया तो अंततः मीडिया है। मीडिया स्वयं कोई सम्पूर्ण निरपेक्ष इकाई नहीं, एक जरिया है। इसलिए मीडिया से किसी जादुई चिराग जैसी भूमिकाओं की अपेक्षा करने के बजाय व्यापक सन्दर्भों में ठोस वास्तविकताओं के धरातल पर चर्चा की जानी चाहिए।

इसके आलावा हिंदी फिल्मों ने भी हिंदी के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों- शतरंज के खिलाडी, तीसरी कसम, चित्रलेखा, सूरज का सातवाँ घोड़ा, गोदान, तमस, सारा आकाश पर फिल्में बनी हैं और ये गैर हिंदी भाषियों के लिए भी संप्रेष्य हो उठी। उनमें गानों ने अतिरिक्त उर्जा का समावेश कर दिया। इसी प्रकार क्रमशः हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, मैथिलि, हरयाणवी, छत्तीसगढ़ी को भी फिल्मी नजरिये से देखें तो एक महत्वपूर्ण पक्ष उभरता है।

निष्कर्षत :- यह कहा जा सकता है कि हिंदी के सशक्तिकरण में साहित्यकार, मीडिया और जन-संचार इन समग्र शक्तियों के सामूहिक प्रयास की अपेक्षा है। किसी एक पक्ष के कंधे पर यह जिम्मेदारी डाल इसके विकास की आशा नहीं की जा सकती है।

बैंकिंग का बदलता स्वरूप और हिंदी

विवेक सर्वा
राजभाषा, अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक
अंचल कार्यालय, चेन्नै

एक अत्यधिक तेज गति के साथ प्रगति करती हुई बैंकिंग, दुनिया को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ग्राहकों के लिए सारी व्यवस्थाएं और सुविधाएँ एकत्र कर लेने के बावजूद भी ग्राहक के बौद्धिक और भावनात्मक रूप को भी समझना आवश्यक है। इस जरूरत को पूर्ण करने के लिए बैंकों को विज्ञापन तथा ग्राहक संपर्क का सहारा लेना पड़ा तो यहाँ पर भाषा का महत्व प्रमुखता से उभर आया। बैंकों की आपसी होड़ में उनके उत्पाद, उनकी ब्याज दरें आदि सभी लगभग एक समान हो गयी। तब इस स्थिति में स्टाफ की कुशलता में निखार लाने के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता का भी अनुभव किया जाने लगा। बैंकों के प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर एक नया दायित्व आने लगा तथा बेहतर और प्रभावशाली सम्प्रेषण के लिए अधिकांश महाविद्यालयों में प्रशिक्षण मिली - जुली भाषा हिंदी और अंग्रेजी में दिया जाना आरम्भ किया गया। इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने से पहली बार बैंकिंग प्रशिक्षण में राजभाषा की उपयोगिता का सफल प्रशिक्षण हो सका तथा साथ ही साथ प्रशिक्षणार्थियों की उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया ने इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। महाविद्यालयों द्वारा केवल हिंदी में भी प्रशिक्षण दिया जाना आरम्भ किया गया। केवल हिंदी में दिए गए प्रशिक्षण को प्रशिक्षणार्थियों ने एक प्रयोग के रूप में सराहा किन्तु इसमें कुछ कठिनाईयों का भी अनुभव किया गया। इस प्रकार प्रशिक्षण में हिंदी ने अपने महत्व और उपयोगिता को सफलतापूर्वक स्थापित किया तथा संकाय सदस्यों में भी हिंदी प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा किया। बैंकिंग और हिंदी के आपसी ताल - मेल में एक स्वाभाविक लयबद्धता भी स्पष्ट हुई। राजभाषा हिंदी के सरलीकरण, हिंदी में तैयार किए गए हैंडआउट, बैंकिंग के विभिन्न विषयों पर हिंदी में लिखी पुस्तकों की मांग बढ़ने लगी।

बैंकिंग की नयी विधाओं पर पुस्तकें हिंदी में आनी शुरू हो गई हैं, जो अनूदित नहीं है बल्कि मूल रूप से हिंदी में लिखी गई हैं। हिंदी की इन पुस्तकों द्वारा यह तथ्य स्पष्टतया उभरा है कि बैंकिंग के गंभीरतर विषयों को हिंदी में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है की साहित्य, रंगमंच, फिल्मों तथा बोलचाल में अपनी उपयोगिता और धाक जमाने वाली हिंदी के लिए बैंकिंग प्रशिक्षण के लिए साहित्य सरल, सहज और सर्वमान्य भाषा में दे पाना हिंदी भाषा की विशिष्टता का द्योतक है। यदि बैंककर्मियों के हिंदी भाषा के प्रति रूझान का विश्लेषण किया जाये तो अभी भी वह लिखित रूप की तुलना में बोलचाल के रूप में ज्यादा प्रयोग में लायी जाती है।

हिंदी में हैंडआउट तैयार करना प्रशिक्षण में हिंदी की दूसरी चुनौती है। अंग्रेजी के हैंडआउटों का अनुवाद किया जाना इस समस्या का एक अल्पकालिक व आपातकालीन उपाय है, जब तक संबंधित विषय के संकाय द्वारा हिंदी में मूल रूप से हैंडआउट तैयार नहीं किया जाता है तब तक प्रशिक्षण में हिंदी अपनी जड़ें गहरी नहीं जमा सकती हैं। अनूदित हैंडआउट की अपनी सीमाएँ होती हैं जिसमें विषय की सही अभिव्यक्ति, भाषा की सहजता आदि की समस्याएं उभर सकती हैं। प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम वे अपने सभी हैंडआउटों

का अनुवाद कर लें जिससे कि मूल रूप में हैंडआउट तैयार करने की एक रूपरेखा संकाय-सदस्यों को मिल सके। इस दिशा में बैंकिंग प्रशिक्षण महाविद्यालयों को एक सार्थक पहल करनी चाहिए।

प्रशिक्षण में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में हिंदी में बनाए गए पॉवर प्वाइंट का भी सराहनीय योगदान है। विषय पर चर्चा करनेवाले संकाय को हिंदी के पॉवर प्वाइंट से जहाँ एक तरफ हिंदी के शब्द सरलता से मिलते हैं वहीं दूसरी तरफ प्रशिक्षणार्थियों को भी विषय को और गहराई से समझने में सुविधा होती है। बैंकिंग के बदलते स्वरूप में विपणन एक प्रमुख नायक के रूप में उभरा है। प्रत्येक बैंक एक निर्धारित राशि विज्ञापन पर खर्च कर रहा है, जिसमें राज्य विशेष की भाषाओं के साथ प्रमुखतया हिंदी और अंग्रेजी को स्थान दिया जा रहा है। बैंककर्मियों को अब शाखा से बाहर निकलकर अपने उत्पादों को बेचने के लिए नए ग्राहकों को तलाशना पड़ता है, जिसमें भाषा की प्रमुख भूमिका रहती है। प्रशिक्षण महाविद्यालय भी भविष्य की भाषा आवश्यकता को समझकर अपनी नई-नई भूमिकाएं निर्धारित कर रहे हैं। हिंदी अब तक शाखा की फाइलों के बीच घूमती रहती थी, जिसमें प्रशासन, बैंकिंग आदि की गंभीर और शुष्क शब्दावलियाँ रहती थीं किंतु बैंकिंग के बदलते परिवेश ने हिंदी को फाइलों से बाहर खींचकर जनता के बीच खड़ा कर दिया है। ऐसी स्थिति में हिंदी को अपनी कार्यालयीन शैली को बरकरार रखते हुए भाषा में भावुकता का भी मिश्रण करना है, जिससे कि लोग आकर्षित होकर बैंक के उत्पाद को खरीद सकें।

बैंकिंग के बदलते स्वरूप में प्रशिक्षण में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। विभिन्न भाषा-भाषियों को राजभाषा हिंदी सीखने में क्या-क्या कठिनाइयाँ होती है, इन मुश्किलों को हल करने के उपाय किए जाएँ। हिंदी में तैयार प्रशिक्षण सामग्री का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा उसमें आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। हिंदी में मूल रूप से हैंडआउट तैयार करने वाले संकाय को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वे मूल रूप से हिंदी में अपने विषय की पुस्तक लिख सके।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की गृह पत्रिका वाणी का विमोचन करते हुए

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की गृह पत्रिका वाणी के 129वें अंक का विमोचन करते हुए कार्यपालक गण (बाएँ से दाएँ - श्री भुवन चंद्र शर्मा, महा प्रबंधक; श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक; श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी; सुश्री एस श्रीमती, कार्यपालक निदेशक; श्री सुरेश कुलकर्णी, उप महा प्रबंधक-राजभाषा)

शाखा का बेहतर प्रबंधन कैसे करें

अंकुश अग्रवाल
मुख्य प्रबंधक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सभी जानते हैं कि आजकल बैंकों की शाखाओं के क्या हाल है। स्टाफ की कमी और कार्य का निरंतर बढ़ता बोझ स्टाफ की कार्य क्षमता को निरंतर प्रभावित कर रहा है। व्यवसाय के हर पैरामीटर पर शाखा को लक्ष्य दिए जाते हैं और प्रबंधन द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि शाखा हर हाल में इन लक्ष्यों को हासिल करें। किसी भी चूक की स्थिति में शाखा प्रबन्धक जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। अब इस बात का भी जोर दिया जा रहा है कि प्रत्येक शाखा एक लाभ सेंटर हो अर्थात शाखा अपने आप में अपने स्वय के व्यवसाय से लाभ अर्जित करें।

शाखा प्रबन्धक अपनी शाखा का सर्वेसर्वा होता है, अपनी शाखा का वह लीडर होता है। स्थिति जो भी हो, एक कुशल रणनीति और सक्षम नेतृत्व से शाखा को न केवल लाभ सेंटर के रूप में परिणित करना संभव है बल्कि शाखा के सभी स्टाफ को भी संतुष्ट किया जा सकता है। इसके लिए प्रभावी शाखा प्रबंधन आवश्यक है, ताकि निर्धारित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। एक अच्छा नेतृत्व कौशल न केवल कार्य क्षमता को बढ़ाता है बल्कि इससे सहकर्मियों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इससे ग्राहक संतुष्टि भी बढ़ती है। एक संतुष्ट ग्राहक, बैंक का सबसे बड़ा विज्ञापन है। बैंक को जो नाम एक संतुष्ट ग्राहक से मिलता है वो लाखों करोड़ों खर्च कर बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लगाने से भी नहीं मिलता। अच्छे शाखा प्रबंधन के लिए कुशल टीम लीडर का होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक कुशल टीम लीडर न सिर्फ लोगों पर अपना असर छोड़ता है बल्कि अपनी टीम के सदस्यों की क्षमता का सही उपयोग भी सुनिश्चित करता है।

शाखा के बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि शाखा प्रबन्धक निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करें।

टीम भावना : प्रत्येक शाखा में कम से कम 3 स्टाफ होते हैं। शाखा के व्यवसाय के आधार पर यह संख्या बढ़ती है। शाखा में सभी तरह के स्टाफ होते हैं। शाखा प्रबन्धक का पहला काम है कि वह एक टीम बनाएँ। स्टाफ सदस्यों में टीम भावना जागृत करें। शाखा में कुछ स्टाफ ऐसे भी पाए जाते हैं जो ज्यादा जुडते नहीं है। अतः ऐसे लोगों को टीम भावना से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन शाखा प्रबन्धक अपनी वाकपटुता तथा अपने व्यवहार से ऐसे लोगों को भी अपनी टीम का हिस्सा बना सकता है। कुछ स्टाफ इगो रखते हैं। ऐसे स्टाफ को भी उनके इगो का सम्मान करते हुए टीम में पर्याप्त सम्मान दिया जाना चाहिए। टीम में आवश्यक है कि स्टाफ सदस्यों में उचित तालमेल हो। हर स्टाफ किसी न किसी क्षेत्र में महारथ रखता है। अतः सभी स्टाफ की भावनाओं का सम्मान करते हुए शाखा प्रबन्धक को अपनी शाखा के समस्त स्टाफ में टीम भावना लानी होगी। टीम भावना का अर्थ यहीं है कि शाखा की कोई भी उपलब्धि शाखा प्रबन्धक या किसी स्टाफ विशेष की नहीं है, बल्कि यह सभी स्टाफ की हैं। शाखा में अधीनस्थ वर्ग के कर्मचारी होते हैं। सामान्यतः इन पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने पर ये उपेक्षित रहते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, जबकि इनमें भी क्षमता होती है व्यवसाय कौशल होता है। अतः शाखा प्रबन्धक को चाहिए कि वह ऐसे स्टाफ को भी अपनी टीम का हिस्सा माने और उन्हें विश्वास में लेकर उनकी क्षमता का भी बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करें। सफल शाखा प्रबन्धक वहीं होता है जो अपने प्रत्येक स्टाफ में टीम भावना जागृत कर पाए, फिर शाखा के

समक्ष कैसी भी चुनौती हो, शाखा उन चुनौतियों का एक जुट होकर सामना करती है।

उचित सम्प्रेषण : टीम में कोई सम्प्रेषण गैप नहीं होना चाहिए। शाखा प्रबन्धक द्वारा अपने स्टाफ से जो भी बात कहीं जाए वह पूर्णत: स्पष्ट हो। शाखा प्रबन्धक को चाहिए कि वह यह जांच करें कि उसकी बात स्टाफ तक सही रूप में पहुंची या नहीं। कई बार अस्पष्ट संदेशों से परिणाम ठीक से प्राप्त नहीं होते। अत: अपनी बात रखते समय शाखा प्रबन्धक को पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। उसे अपनी बात पर कायम भी रहना चाहिए। ऐसा न हो कि वह बार-बार अपनी ही कही बात से पलट जाए। कभी-कभी कुछ कारणवश लिए गए निर्णयों को बदलना पड़ता है तब शाखा प्रबन्धक उचित ढंग से सभी को समझाते हुए अपनी बात रखें। शाखा प्रबन्धक को अपना दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए। उसके संदेशों में पारदर्शिता हो और स्पष्टता हो।

स्टाफ की बातें ध्यान से सुनना : शाखा प्रबन्धक के लिए आवश्यक है कि वह अपने किसी भी स्टाफ की बातें पूरे ध्यान से सुनें और उसे पर्याप्त तवज्जो दे। स्टाफ तभी जुड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके लीडर के पास उनकी बातें सुनने का वक्त है। कुछ परिस्थियों में शाखा प्रबन्धक अपने स्टाफ से सीधे नहीं जुड़ते, वे अपने साथ कार्यरत अधिकारियों से ही बात करते हैं और फिर ये अधिकारी लीडर की बात स्टाफ तक पहुंचाते है। अगर यह नियमित रूप से हो तो उस शाखा में कभी टीम भावना आ ही नहीं सकती। स्टाफ तभी अपने आप को जुड़ा महसूस करते है जब उनका लीडर सीधे उनसे बात करें।

क्षमता एवं अनुभव के अनुसार कार्यों का आवंटन: एक शाखा में एक साथ कई कार्यों का निष्पादन किया जाता है। यह आवश्यक है कि स्टाफ को उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य आबंटित किए जाए। यदि स्टाफ सदस्यों में कार्यों को कर्मचारी की दक्षता के हिसाब से बांटा जाए तो बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। शाखा प्रबन्धक का यह भी दायित्व है कि वह ऐसे स्टाफ सदस्यों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करें, जो किसी कार्य विशेष में रुचि नहीं रखते।

बैठकों का आयोजन : समय-समय पर कर्मचारियों की बैठक बुलाकर उनकी समस्याएं जानना भी शाखा प्रबन्धक का अहम दायित्व है। स्टाफ की समस्या पर शाखा प्रबन्धक द्वारा गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

तकनीक पर बल : आज के इस युग को तकनीक का युग भी कहा जाता है प्रभावी शाखा प्रबंधन में तकनीक पर बल देकर कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्यों का कुशलता एवं गुणवत्ता के साथ निष्पादन किया जा सकता है जिससे घर बैठे ग्राहकों को बहुत सारी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं एवं ग्राहक को शाखा में आने की जरूरत नहीं होती, तकनीक पर बल देने से शाखा में भीड़ की समस्या का भी समाधान हो जाता है एवं परिचालन खर्चों में भी कमी आती है जिससे लाभप्रदता में अप्रत्याशित वृद्धि होती है।

कार्य संचालन : जब भी शाखा प्रबन्धक किसी शाखा का प्रभार ग्रहण करें तो सबसे पहले उसे शाखा की पिछली ऑडिट रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए, इससे शाखा प्रबन्धक को शाखा की पूरी जानकारी मिल जाती है। उसे शाखा के व्यवसाय को समझने में सरलता होती है। शाखा के द्वारा की गई चूक मालूम होती है। ऑडिट रिपोर्ट के विस्तृत अध्ययन से शाखा प्रबन्धक के लिए व्यवसाय रणनीति बनाना आसान हो जाता है।

स्टाफ को प्रोत्साहित करना : यह आवश्यक है कि शाखा की हर छोटी बड़ी उपलब्धि पर स्टाफ को सराहा जाए। इसी तरह किसी लक्ष्य पर कार्य करने के उपरांत भी उत्साहजनक परिणाम प्राप्त न होने पर गहराई से विचार-विमर्श किया जाए। एक सफल शाखा प्रबन्धक के लिए इन दोनों ही बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।

जिस तरह किसी भी खेल की जीत में योगदान समस्त खिलाड़ियों का होता है, उसी तरह शाखा के कार्य निष्पादन में सभी स्टाफ सदस्यों का योगदान होता है। हाँ यह जरूर है कि कोई खिलाड़ी अच्छा खेल जाता है तो कोई थोड़ा कम। पर अगले मैच में स्थिति बदल भी जाती है। अत: जब तक शाखा प्रबन्धक अपने सभी स्टाफ को साथ लेकर उचित रणनीति बनाकर लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अग्रसर नहीं होंगे, शाखा के लिए लक्ष्य हासिल करना कठिन ही होगा।

बैंकों में हिंदी भाषा का स्वरूप और मीडिया

मंजुला एम. जॉर्ज
मुख्य प्रबंधक
पंजाब नैशनल बैंक
मंडल कार्यालय चेन्नै, दक्षिण

भाषा पर बात करने से पहले यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि भाषा है क्या? भाषा एक सामाजिक वस्तु है और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि भाषा एक निश्चित समुदाय के व्यक्तियों को चिंतन, भावना और जीवन – दृष्टि के धरातल पर एक – दूसरे के समीप लाती है। उन्हें आपस में बांधे रखती है। भाषा समाज का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। किसी भी जाति के अस्तित्व का बोध उसकी भाषा द्वारा होता है।

आज से 71 वर्ष पूर्व 1949 को देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था जिस कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी में वह सारे गुण हैं जो एक राष्ट्र भाषा में होने चाहिए। जिसकी वजह से आजादी के पश्चात हिंदी को संघ की राजभाषा बनने का दर्जा दिया गया। महात्मा गांधी ने सन् 1917 में इस तथ्य की ओर संकेत दिया था कि 'वही भाषा राष्ट्र भाषा बन सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज एवं सुगम हो, जो धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में माध्यम भाषा बनने की क्षमता रखती हो, जो सम्पूर्ण देश के लिए सहज उपलब्ध हो।' राष्ट्रभाषा बनने के लिए यह सारे गुण हिंदी में पहले से विद्यमान थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में – "भाषा ही किसी जाति की सभ्यता को सबसे अधिक झलकाती है। यही उसके भीतर कलपुर्जे का पता देती है। किसी जाति को अशक्त करने का सबसे सहज उपाय उसकी भाषा को नष्ट करना है।"

पिछले दशक में जिस गति के साथ संचार माध्यमों का विकास हुआ है वह विलक्षण है। आज के दौर में मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरा है। मीडिया एक ऐसा साधन है जो सामाजिक परिवर्तन लाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत में मीडिया की भाषा हिंदी है। हिंदी की अपनी भाषिक विशेषताओं के स्थान पर तीव्र गति से हिंदी के रूप प्रचार-प्रसार में मीडिया अहम् भूमिका निभा रहा है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ व्यापक क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है वहां मीडिया के योगदान को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। मीडिया सदा "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" की उदात्त भावना लेकर चला है, हिंदी निर्माण और उसको आगे बढ़ाने का कार्य मीडिया ने भी किया है। हिंदी राजभाषा के बाद अब वैश्विक भाषा बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। यंत्र के युग में विकसित आधुनिकता ने समय और अंतरिक्ष में नया स्वरूप विकसित किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को सर्व स्वीकार्य बनाने में मीडिया की उल्लेखनीय भूमिका रही है।

आज के प्रौद्योगिकी के दौर में मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरा है। भारत जैसे विशाल देश में जहां व्यापक क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, इसके विकास में वेब मीडिया के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सबको साथ लेकर चलती है। दिनकर के शब्दों में – "हिंदी की परंपरा सांप्रदायिकता की परंपरा नहीं, एकता, उदारता, सामाजिक समानता और वैयक्तिक स्वतंत्रता की

परंपरा है।" यूनिकोड के पदार्पण के बाद 2003 में पहली बार इन्टरनेट सर्च और ई-मेल की सुविधा की शुरूआत हुई, जो कि इसके विकास के पथ की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी रही है। हिंदी यूनिकोड हुई, इन्टरनेट में 15 से भी अधिक सर्च इंजन हुए। इन्टरनेट और मोबाइल ने हिंदी को और विस्तार दिया। हिंदी सम्प्रेषण की ताकत है। 21 फीसदी भारतीय हिंदी में इन्टरनेट का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया में हिंदी छाई हुई है। आज मीडिया के किसी भी रूप में चाहे वह हिंदी के समाचार पत्र हो, दूरदर्शन हो, रेडियो हो, हिंदी सिनेमा हो, या विज्ञापन हो, सर्वत्र हिंदी छाई हुई है। इसके अतिरिक्त हिंदी को विश्वभाषा बनाने में इन्टरनेट की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार माध्यमों ने हिंदी के वैश्विक रूप को गढ़ने में पर्याप्त योगदान दिया है। आकाशवाणी ने समाचार, विचार, शिक्षा, सामाजिक सरोकारों, संगीत, मनोरंजन आदि सभी स्तरों पर अपने प्रसारण के माध्यम से हिंदी को देश के कोने-कोने तक पहुँचाया है। इस कार्य में हिंदी फिल्में भी पीछे नहीं, हिंदी फिल्मों एवं फिल्मी गीतों का हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी फिल्मों ने हिंदी साहित्य को भी आम लोगों तक पहुँचाया है। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों 'शतरंज के खिलाड़ी', 'तीसरी कसम', 'चित्रलेखा', 'सूरज का सातवाँ घोड़ा', 'माया दर्पण', 'तमस', 'सारा आकाश' आदि पर फिल्में बनी हैं। हिंदी साहित्यिक कृतियों का सिनेमाई रूपांतरण साहित्य को नई संचारात्मक और सम्प्रेषण शक्ति प्रदान करता है। निरक्षर लोग और गैर भाषाई लोगों तक भी साहित्य की पहुँच इसके फलस्वरूप हो जाती है। मीडिया के सबसे सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम दूरदर्शन ने हिंदी के प्रसारण के द्वारा हिंदी को जन-जन तक पहुँचाया है। हिंदी को जनप्रिय बनाने में बहुमूल्य योगदान दिया है।

समाज में मीडिया की भूमिका संवाद वहन की रही है। वह समाज के विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों एवं संस्थाओं के बीच पुल का कार्य करता है। वह जनता की इच्छा, आकांक्षाओं, सपनों, उसकी अंदरूनी हलचलों और विभ्रमों को भी उसके दूसरे वर्गों एवं विभिन्न स्तर तक पहुँचाने का कार्य करता है, जिससे मीडिया का दायित्व और भी बढ़ जाता है। अतएव यह अन्यथा नहीं है की लोकतंत्र मीडिया की भूमिका का आंकलन करते हुए उसको अपने चौथे खंभे का सम्मान देता है। 21वीं सदी के पहले दशक में ही गूगल न्यूज, गूगल ट्रांसलेट तथा ऑनलाइन फोनेटिक टाइपिंग जैसे औजारों ने वेब की दुनिया में हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण सहायता की है। उपरोक्त सभी ऑनलाइन औजार यूँ तो प्रत्यक्ष से कोई बड़ी भूमिका में न रहें हो परन्तु हिंदी के समय विकास में इनकी सहायता से इंकार नहीं किया जा सकता है। भारत जैसे देश में जहां 10 प्रतिशत से भी कम लोग अंग्रेजी का ज्ञान रखते हैं, वहाँ हिंदी के इस स्वरूप की आवश्यकता बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हिंदी का अपना बाजार भी बन रहा है। इससे हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मजबूत हो रही है। हिंदी के विकास में ब्लॉगिंग ने निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका प्रमाण यह है कि हिन्दी के कई ऐसे ब्लॉग हैं, जो रोजाना 1000 से भी ज्यादा व्यक्तियों द्वारा देखें जाते हैं और यह कोई सामान्य बात नहीं है। शैली तथा वैचारिक रूप से अलग ये ब्लॉग अपनी भाषायी खुशबू को प्रतिदिन हजारों जनमानस तक पहुंचाते हैं क्योंकि इंटरनेट के सागर में नित-प्रतिदिन हिन्दी ज्ञान स्वरूप नदियाँ समाहित हो रही हैं। हिन्दी ही एकमात्र भाषा है जो समस्त भारतीयों को एकता के सूत्र में जोड़ने का कार्य सम्पन्न करती है। देश में प्राय: सभी जगह हिन्दी व्यापक स्तर पर बोली जाती है। दक्षिण भारत हो या पूर्वोत्तर भारत, हर जगह हिन्दी का सहज व्यवहार हो रहा है। भाषा के लंबे इतिहास में ऐसी बहुरूपी भाषा का अस्तित्व और कहीं नहीं मिलता है।

हिन्दी भाषा के विकास के लिए हिन्दी को रोजगार से जोड़ना अधिक आवश्यक है। भाषा को लेकर हमारी सोच ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। मीडिया ने इसी सोच को बदलने का प्रयास किया है और भाषा को रोजगार के साथ जोड़ने की सफल कोशिश की है, जिसके कारण आज हिन्दी का प्रचार-प्रसार दुनिया

भर में हुआ है। सोशल मीडिया, इंटरनेट व मोबाइल के द्वारा आज की युवा पीढ़ी हिन्दी का सबसे अधिक उपयोग कर रही है। भारत में अनेक भाषाएं है पर हिन्दी का एक अलग ही रूप है यह एकता की कड़ी है। भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी एवं कक्ष से कामरूप तक जोड़े रखती है। हिन्दी के समाजीकरण में मीडिया की अहम भूमिका रही है। हिन्दी जैसी सरलता एवं सुगमता शायद ही कहीं और देखने को मिले, हिन्दी ने हमेशा ही सबको अपनाया है। किसी भी भाषा के शब्दों को अपनाने में कोई परहेज नहीं किया है।

आज दुनिया के हर कोने में बसे भारतीय, वेब मीडिया की सहायता से हिन्दी को तवज्जो देना शुरू कर चुके है। उपर्युक्त तथ्यों एवं बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वेब मीडिया ने हिन्दी समेत सभी भाषाओं को एक समान वैश्विक मंच प्रदान किया है। चूंकि हिन्दी की अपनी विशेषताएँ हैं, इसलिए हिन्दी अन्य भाषाओं से तेज एवं सकारात्मक रूप से विकासशील है। आज भारत के बाहर विभिन्न देशों में हिन्दी में सभाएँ, सम्मेलन, पुरस्कार समारोह आदि आयोजित किए जा रहे हैं। भारत की भाषायी स्थिति और उसमें हिन्दी के स्थान को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि हिन्दी आज भारतीय जनमानस के संपर्क की राष्ट्रीय भाषा दृष्टि से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। राष्ट्र का गौरव इस बात की अपेक्षा रखता है कि हम अपनी राष्ट्र भाषा को जानें और उसका प्रयोग करें। राष्ट्र भाषा स्वतंत्र देश की रीढ़ होती है। जिस प्रकार रीढ़ के बिना मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा के बिना खड़ा नहीं हो सकता है।

मेरी हिन्दी बनेगी विश्व की बिंदी

श्वेता जयसवाल
अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक
शाखा - आर. एच. रोड, मंडल कार्यालय चेन्नै दक्षिण

वो दिन अब दूर नहीं,
कि दुनिया हिन्दी अपनाएगी,
बनेगी सिरमौर मेरी हिंदी!
मानवता के गीत गायेगी,

135 करोड़ है भारत की जनता
जब मिलकर हिंदी अपनाएगी
सोचो! और कौनसी भाषा-
इसके आगे टिक पाएगी ?

होगा व्यवहार मेरा हिन्दी में,
हम हिन्दी में ही लिखेंगे!
विश्वास रखो। हे माँ।।

राष्ट्रभाषा नहीं,
तुझे विश्वभाषा बनाएंगे!

अपनी आभा से संसार को हम
आलोक से भर देंगे,
आरती करेगी तेरी दुनिया
जश्न-ए-दीपक जलाएंगे।

कोयल भी चहकेगी हिन्दी में
चाँद पूनम का भी होगा हिन्दी
संतोष होगा तुझे माँ हिन्दी,
मेरी हिंदी बनेगी विश्व के माथे की बिंदी!!

भारतीय कला और संस्कृति का मौजूदा स्वरूप

दिग्विजय कुमार
मुख्य प्रबंधक (विधि)
बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, चेन्नै

जब हम भारत की बात करते हैं तो इसका वर्णन भारतीय कला और इसकी संस्कृति के बिना अधूरा है। अगर हम यह कहें कि भारतीय कला और संस्कृति एक दूसरे की पूरक हैं तो, अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ज्यों-ज्यों भारतीय संस्कृति का विकास हुआ त्यों-त्यों भारतीय कला में भी उसका प्रभाव दिखा है और यह विकास पीढ़ी-दर-पीढ़ी निखर कर हमें अपने स्वरूप के दर्शन कराता रहा है।

भारतीय कला और संस्कृति के मौजूदा स्वरूप को समझने से पहले हमें भारतीय कला और संस्कृति को समझना होगा।

भारतीय कला : भारतीय कला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसकी झलक हमें भीमबेटका की गुफाओं में की गयी चित्रकारी (1500 ई.पू.), अजंता एवं एलोरा की गुफाओं की चित्रकारी (7वीं शताब्दी) से मिलती है। भारतीय कला में भारतीय संस्कृति की भांति ही प्राचीन काल से लेकर आज तक एक विशेष प्रकार की एकता के दर्शन होते हैं। प्राचीन एवं मध्यकाल के दौरान भारतीय कला मुख्य रूप से धार्मिक भावना से प्रेरित थी, लेकिन आधुनिक काल तक आते-आते यह काफी हद तक लौकिक जीवन का निरूपण करती है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में शिल्पियों और स्थापतियों ने अपना नाम और परिचय अधिकांशतः गुप्त रखा, क्योंकि सृजनकर्ता के बजाय सृजन को महत्व दिया जाता था, यही कारण है कि अधिकांश कलाकृतियां अज्ञात हैं। भारतीय कला में परम्परा का सर्वत्र सम्मान हुआ है, किन्तु किसी भी काल में अन्धानुकरण को प्रक्षेय नहीं दिया गया।

भारतीय संस्कृति : भारत की संस्कृति बहुआयामी है, जो सिन्धु घाटी की सभ्यता के दौरान बनी और आगे चलकर वैदिक युग में विकसित हुई। भारतीय बौद्ध धर्म एवं स्वर्ण युग की शुरूआत और उसके आगमन के साथ फली-फूली जिसमें पड़ोसी देश के रिवाज, परम्पराओं और विचारों का समावेश है। पिछली पांच सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से भारत के रीति-रिवाज, भाषाएं, प्रथाएं एवं परंपराएं, इसके एक-दूसरे के परस्पर संबंधों में महान विविधताओं का एक अद्वितीय उदाहरण देती हैं और यही कारण है कि भारत को कई धार्मिक प्रणालियों का जनक कहा जाता है।

भारतीय संस्कृति में मुख्यतः निम्नलिखित समाहित है:

(i) आध्यात्म एवं दर्शन;

(ii) धर्म;

(iii) योग;

(iv) आयुर्वेद;

(v) गणित शास्त्र;

(vi) खगोल शास्त्र;

(vii) भाषा और साहित्य;

(viii) समाज शास्त्र;

(ix) परिवार;

(x) परम्परा एवं रीति;

(xi) विज्ञान;

(xii) नाट्य शास्त्र-नृत्य एवं संगीत;

(xiii) मूर्तिकला एवं वास्तुकला;

(xiv) लोक कलाएं व लोक परंपराएँ

भारतीय कला : हमारा देश प्राकृतिक और भौतिक दोनों प्रकार से विश्व का एक अद्भुत एवं अनोखा राष्ट्र है। इस देश की संस्कृति एवं कला विश्व की प्राचीन संस्कृति एवं कला में से एक है। हमारे देश की कला इतनी उच्च स्तर की है कि विदेशियों ने इसपर मोहित होकर हमला किया। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमने परम्परा को जीवित रखते हुए नवीनता को अपनाया। यही कारण है कि हमारी कलाकृतियां आज भी उसी रूप में कायम हैं। हमारे शासक और राष्ट्रनायक भी कला और संस्कृति के हिमायती रहे हैं और यह प्रमाण हमारी कला शैली में मौजूद है। हमारे शासकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश की कला और संस्कृति को बचाने की पुरजोर कोशिश की।

जब हमारे देश पर बाहरी शासकों ने आक्रमण किया तो उसका प्रभाव हमारी कला कृतियों पर पड़ा। इसका फायदा यह हुआ कि हमारी कला कृतियां और अधिक निखर गयी। इसका उदाहरण खजुराहो, आगरा का ताजमहल,

माण्डू के प्रसिद्ध किले में हिंडोला महल, जहाज महल, उज्जैन, पंचमढ़ी इत्यादि हैं।

भारतीय कला में नृत्य कला का प्रभाव प्रतीत होता है। इसके अन्तर्गत आने वाली विभिन्न शैलियां आज बहुत ही विकसित हो चुकी हैं और विदेशियों को आकर्षित करती हैं। भारतीय नृत्य शैली में प्रमुख हैं- कथक नृत्य, भरत नाट्यम, मणिपुरी, भांगड़ा, गरबा, नौटंकी इत्यादि।

भारतीय कला में नाट्य नृत्य का महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें जितनी कलाएं विकसित हुई हैं, वे अत्यन्त दुर्लभ हैं।

नाट्य नृत्य के द्वारा हमारे कलाकार हमारे देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का ऊँचा और अमर गान गाया करते हैं। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति विश्व के सर्वाधिक प्राचीन देशों यूनान, मिस्र, रोम से कम नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये सभी देश अपनी पराधीनता के कारण अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति को आज खो चुके हैं जबकि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति बार-बार विदेशी हमले के बावजूद भी ज्यों की त्यों आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी संस्कृति विविध होती हुई भी जितना एकता का आधार लिए हुए है उतना और किसी अन्य संस्कृति कला में नहीं हैं।

हमारी भारतीय कला नकलनवीस न होती हुई भी नकलनवीस से मजबूत है। यहाँ का नागरिक, विदेशी खान पान, रहन सहन, बोलचाल, दर्शन आदि को अपनाने की कला में जितना तेज और कुशल है इतनी और कोई विदेशी कला नहीं हो सकती है, उदाहरण के लिए एक भारतीय जितनी साफ और आसानी से विदेशी भाषा को बोल सकता है, अनुकरण कर सकता है और रूप धारण कर सकता है, उतना कोई विदेशी, भारतीयता का नकलनवीस नहीं बन सकता है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय कला, चाहे वह नृत्यकला, चित्रकला, मूर्तिकला आदि हो या जीवन की कोई अन्य कला हो, सब की सब अनुपम और अद्भुत हैं। इसके परिणास्वरूप यह विश्व को आकर्षित करती रही हैं।

भारतीय कला एवं संस्कृति का नूतन आयाम ब्रिटिश समाज की नींव से प्रारंभ हुआ और इस युग में सामाजिक आचार-विचार पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। परिवारों का पृथककरण होने लगा और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत ने धर्म को पीछे धकेल दिया। भौतिकवाद के उभरने के कारण आधुनिकतावाद की अवधारणा का समाज में आना आसान हो गया।

- यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि भारतीय कला और संस्कृति पर आधुनिकतावाद के कारण उसका प्रभाव न केवल भारतीयों की मन:स्थिति पर पड़ा, बल्कि उनके पहनावे, ओढ़ावे और कला पर भी व्यापक असर पड़ा। पहले जो कलाकृतियां पत्थरों, ताम्रपत्रों और कपड़ों आदि पर होती थीं, उनकी जगह कागज़ ने ले ली और तस्वीर बनाने के लिए आधुनिक उपकरण और सामग्री आ गए। उसी तरह पहले जहाँ विदेश जाना अच्छा नहीं माना जाता था, वहीं आधुनिक युग में यह एक फैशन बन गया।

- कला और विज्ञान के नवीन साधनों का श्रीगणेश हुआ, राजनीतिक तथा समाज व्यवस्था में मौलिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। प्रौद्योगिकी विकास, विवेकीकरण आदि द्वारा सभी क्षेत्रों में बुनियादी परिवर्तन हुए, जिसके परिणामस्वरूप समाज की एक विशिष्ट स्थिति को प्रदर्शित करने वाली अवधारणा बनी।

- महिलाओं को बदली हुई संस्कृति में उचित स्थान मिला और उनके शक्तिकरण की ओर ले जाने के प्रयास किये जाने लगे।

मानव के विकासशील एवं सृजनात्मक स्वभाव पर बल देते हुए धर्म एवं तर्क, विज्ञान एवं धर्म का ही नहीं, वर्ण एवं प्राच्य एवं पाश्चात्य विचारधाराओं के समन्वय का प्रयास किया गया। संस्कृति के नए स्वरूप में गांवों की संस्कृति छोड़ शहरीकरण को अपनाया गया।

भारतीय कला एवं संस्कृति के नए स्वरूप

भारत केवल प्राचीन और पारंपरिक कला व संस्कृति के ही क्षेत्र में नहीं, अपितु बदलते परिदृश्य में भी अपनी आधुनिक छवि के साथ अपनी अस्मिता को बनाए हुए है। आज हम सब जानते हैं कि हिन्दी और अन्य भारतीय फिल्में विश्वभर में अपना सिक्का जमाए हुए हैं। वैश्विक स्तर पर अपने देश की एक सुंदर पहचान बनाए हुए हैं। ये फिल्में अरबों रुपयों का विदेशी विनिमय भी लाती हैं। भारत की पहल पर यूएन में 21 जून को जब योग दिवस के रूप में घोषित किया गया तब विश्व इतिहास में पहला अवसर था, जब इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सभी देशों ने एक साथ सामने आकर इसके पक्ष में एकमत होकर मतदान किया। उपनिषदों में वर्णित वसुधैव कुटम्बकम संकल्पना का इससे अद्वितीय उदाहरण और क्या हो सकता है। योग और फिल्में ही नहीं, हमारे शास्त्रीय संगीतज्ञों, गायकों, रचयिताओं ने हमारे देश की विराट सांस्कृतिक परंपराओं को विश्व, के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, हमारे देश से विभिन्न सफल व्यक्तियों की निजी उपलब्धियों की कड़ी कुछ ऐसी बनी है कि आज विश्व की कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी देख लीजिए, उसके शिखर पर बैठा सीईओ या अध्यक्ष एक भारतीय ही मिलेगा। यह केवल एक व्यक्ति की निजी सफलता नहीं है, उस समाज का परिचायक भी है जहाँ परिवार, शिक्षा और अनुशासन को कितनी प्रमुखता दी जाती है। जब तक कोई समाज अपने रचनात्मक मूल्यों और मानवीय उपलब्धियों को प्राथमिकता नहीं देता, अपने बच्चों को ज्ञानार्जन, रचनात्मक सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देता, तब तक उसमें इतने व्यापक, सतत और उच्चकोटि के आयाम पार नहीं कर सकता। भारतीय मूल के प्रवासी जहाँ कहीं गए, जहाँ कहीं बसे, अपने मूल्यों और सहजता से वहाँ के समाज के अंतरंग अंग बन गए, कानून व्यवस्था का पालन करते हुए अपनी

मेहनत और ज्ञान से उच्च शिखर पर पहुँचकर, वहाँ अर्थव्यवस्था में बड़े अनुपात में आयकर अदा करते हैं, अपने कार्यक्षेत्र में ज्ञान, शोध और सफलता की ऊँचाईयों को छूते हैं। एक पूरे समाज के स्तर पर ऐसा प्रदर्शन उस समाज के मौलिक व्यवहार के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। इसलिए एक संपन्न देश न होने के बावजूद यहाँ के प्रति व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध दर को यदि विश्व स्तर पर आंका जाए तो यह लगभग नगण्य है जबकि विकसित और संपन्न माने जानेवाले देशों में इसका अनुपात कहीं बढ़कर है। सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर टिके समाज में ही जो अपनी आध्यात्मिक चेतना को नहीं भूला हो, वहीं यह संभव है। अंग्रेजों ने भारत छोड़ते समय इसे गरीबी और अकाल देते हुए छिन्न-भिन्न करके छोड़ दिया था, तब से अब तक जिस प्रकार यह दासता से अपना पल्ला झाड़कर अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहा है, यह इतने विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए आसान कार्य नहीं है, इससे छोटे आकार के कई देश जो कि भाषाई, धार्मिक व जीवनशैली आदि की दृष्टि से लगभग समान हैं, वे तक लड़खड़ा गए हैं, परंतु भारत इतनी विविधताओं से भरा होने के बावजूद अब भी अपने मूल्यों पर टिका हुआ है और प्रगतिरत है। किसी भी देश के लिए यह भी कोई कम गर्व की बात नहीं है कि विश्व स्तर पर लगभग सभी बौद्धिक स्पर्धाओं में भारतीय और भारत मूल के लोग ही अग्र स्थान पाते हैं। भारत केवल क्रिकेट और फिल्मों का देश नहीं रहा, ओलम्पिक्स में भी भारत अब अपनी उपस्थिति दर्ज करने लगा है। अब पर्वातरोहण से लेकर टेनिस, कार रेसिंग से लेकर चेस, लगभग सभी प्रकार की खेल क्रीड़ाओं में भारतीयों की रूचि बढ़ती ही जा रही है। इससे भारत को विश्वस्तर पर अपने अधिकार का स्थान मिल रहा है। आज जहाँ ब्रेग्जिट जैसे परिवेश में देश आपस में एक दूसरे के साथ नहीं, अपनी अस्मिता को बनाए रखने की आस में अलग होने की बात करते हैं, वहीं, इतनी विविधताओं और विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत आज भी एक राष्ट्र के रूप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यह हर भाषा, वर्ण, मजहब, रहन सहन, पहनावे, त्योहारों, पर्वों, प्रतिभाओं और संभावनाओं को साथ लेकर अनेक प्रकार की क्लिष्टताओं को सहजता से सुलझाते हुए अपनी धुन में बढ़ता जा रहा है। चरैवेति चरैवेति का सार यहाँ की रगों में बहता है।

इतिहास साक्षी है कि भारत प्राचीन काल से अविरल चली आ रही वह सभ्यता है जिसमें प्रत्येक क्षेत्र और हर संस्कृति के लिए स्थान है, जो यहाँ आया, यहीं का होकर रह गया, न अपनी संस्कृति को खोया, न ही अपने आप को। यहाँ फला, फूला, समृद्ध हुआ और अपनी संभावनाओं को नित नए आयाम देता रहा, नित नए शिखर पाता रहा।

निष्कर्ष : ऊपर की गयी चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है, भारत में एक तरह की कला और संस्कृति पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं रही और उसपर समय-समय पर हुए परिवर्तन के अनुसार, परिवर्तन देखा गया। प्राचीन काल से लेकर अभी तक कला एवं संस्कृति में पड़ोसी देशों का, साम्राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखता है। परन्तु भारत की कला और संस्कृति आध्यात्मिकता से जुड़ी है जो इसको मजबूत बने रखने में सहयोगी है। हालांकि भविष्य में भी इसमें समय-समय पर परिवर्तन होंगे। लेकिन आधारभूत आध्यात्मिक संस्कृति एवं कला हमारे देश को एक साथ रखने में सहायक होगी।

इंडियन बैंक कॉर्पोरेट कार्यालय चेन्नै में हिन्दी दिवस - 2021 का आयोजन

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय चेन्नै द्वारा हिन्दी माह - 2021 का आयोजन

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चेन्नै आंचलिक कार्यालय द्वारा दिनांक 15 अगस्त से 14 सितंबर 2021 तक हिन्दी माह मनाया गया। माह का शुभारंभ फील्ड महाप्रबंधक के संदेश से किया गया, जिसमें अंचल के सभी स्टाफ सदस्यों से आह्वान किया गया कि वे हिन्दी माह के दौरान अपने कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाएं। माह के दौरान आंचलिक कार्यालय सहित अंचल के समस्त 13 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपने क्षेत्र के स्टाफ सदस्यों हेतु हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

अंचल के तत्वावधान में सभी क्षेत्रों के स्टाफ हेतु राजभाषा/ बैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, हमारे अंचल के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि गैर हिन्दी भाषी अंचल होते हुए भी हमारे अंचल से 304 स्टाफ सदस्यों ने इस प्रतियोगिता में सहभागिता की, जो बैंक के किसी भी अंचल द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में सर्वाधिक है। इसका श्रेय निश्चित ही हमारे समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों को जाता है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में स्टाफ को प्रतियोगिताओं में सहभागिता करने हेतु प्रेरित किया।

आंचलिक कार्यालय स्तर पर स्टाफ के भाषा ज्ञान के आधार पर हिन्दी भाषा ज्ञान प्रतियोगिता अलग-अलग तीन वर्गों में आयोजित कर सभी स्टाफ सदस्यों को हिन्दी से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही आंचलिक कार्यालय के स्टाफ सदस्यों हेतु टीम बनाकर पावर प्वाइंट पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा अधीनस्थ वर्ग के साथियों हेतु हिन्दी शुद्ध लेख प्रतियोगिता आयोजित की गई।

दिनांक 14 सितंबर 2021 को हिन्दी दिवस एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन आंचलिक कार्यालय सभागृह में किया गया, जहां स्टाफ सदस्यों ने हिन्दी गीत एवं हिन्दी दिवस पर विचार प्रस्तुत किए। सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को श्री विवेक कुमार, फील्ड महाप्रबंधक, श्री वी. लक्ष्मण राव, उप आंचलिक प्रबंधक एवं श्री के. सुरेश कुमार, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक के करकमलों से पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

हिन्दी दिवस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के अवसर पर पुरस्कार प्रदान करते हुए फील्ड महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार एवं उप आंचलिक प्रबंधक श्री वी. लक्ष्मण राव एवं वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक श्री के. सुरेश कुमार

पंजाब नैशनल बैंक, अंचल कार्यालय चेन्नै द्वारा हिन्दी माह-2021 का आयोजन

पंजाब नैशनल बैंक, अंचल कार्यालय चेन्नै, मंडल कार्यालय चेन्नै दक्षिण एवं आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालय चेन्नै द्वारा संयुक्त रूप से 'हिन्दी माह- सितंबर-2021' का आयोजन किया गया। मंडल कार्यालय चेन्नै दक्षिण एवं आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालय चेन्नै में 'हिन्दी माह - 2021' का बैनर लगाया गया एवं अधिकाधिक पत्राचार, नोटिंग, ई-मेल एवं अंतरिक कामकाज हिंदी में करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। क्षेत्राधिकार के तहत सभी शाखाओं को भी शामिल करते हुए कर्मचारियों के लिये तीन प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया।

इसमें अंचल कार्यालय से महाप्रबंधक महोदय श्री पी महेन्दर जी, उप-महाप्रबंधक महोदय श्री अरुण नन्दा जी, श्री नागेश्वर राव जी, श्री बालासुब्रमण्यम जी, सहायक महाप्रबंधक महोदय श्री ई. सुब्रमनयन जी, श्री ए. जी. धनशेखरन जी एवं श्री के. मोहन जी, उपस्थित रहे। साथ ही मंडल कार्यालय चेन्नै दक्षिण से मंडल प्रमुख - चेन्नै दक्षिण महोदय श्री मख्सूद अली जी उप-महाप्रबंधक उपस्थित रहे। सर्वप्रथम राजभाषा अधिकारी श्री विवेक सर्वा द्वारा सभी कार्यपालकगण एवं कर्मचारियों का उद्घाटन समारोह में स्वागत किया गया। उद्घाटन समारोह का प्रारंभ अंचल प्रमुख महोदय श्री पी महेन्दर जी, मंडल प्रमुख महोदय श्री मख्सूद अली जी, उप-महाप्रबंधक महोदय श्री अरूण नन्दा जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, चेन्नै द्वारा राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, चेन्नै द्वारा भारतीय भाषा सौहार्द स्वरूप हिंदी दिवस के पावन अवसर पर दिनांक 14 सितंबर, 2021 से **"हिंदी पखवाड़ा-2021"** का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख श्री के. रमेश ने की। अध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सभी स्टाफ सदस्यों को, इस वर्ष यूको बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार-प्रथम एवं अंचल कार्यालय, चेन्नै को पहली बार प्रधान कार्यालय तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक व वि.स.), चेन्नै से प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त होने पर बधाई दी एवं उपस्थित स्टाफ सदस्यों को प्रत्येक दिन हिंदी के कार्य को अधिकाधिक बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री जी. एस. अशोक कुमार, सहायक महाप्रबंधक एवं प्राचार्य, स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र, चेन्नै द्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अतुल कुमार गोयल जी के संदेश का वाचन, एसएमई हब के सहायक महाप्रबंधक श्री एन. श्रीकांत द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संदेश का वाचन किया गया। श्री के. रमेश, अंचल प्रमुख महोदय ने सभी स्टाफ सदस्यों को राजभाषा प्रतिज्ञा दिलाई।

पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने यूको बैंक चेन्नै अंचल के सहयोग से 24 से 27 मार्च 2022 तक यूको जी. डी. बिड़ला स्मृति अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। आजादी का अमृत महोत्सव तथा दक्षिण भारत की हिंदी पत्रकारिता का शताब्दी उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस संगोष्ठी का विषय 'आजादी आंदोलन, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार और हिंदी पत्रकारिता' पर केंद्रित था। इस संगोष्ठी का आयोजन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया गया।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा हिंदी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिता के विजेता श्री सुशील कुमार मोहंता, महा प्रबंधक को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं साथ में अन्य कार्यपालक गण उपस्थित हैं।

दी न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा हिन्दी दिवस-2021 का आयोजन

क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। इस वर्ष हमने 14 से 20 सितंबर तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया। इस दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेता कार्मिकों को हमारे कार्यालय की उप महाप्रबंधक श्रीमति के एस ज्योति एवं क्षेत्रीय प्रबंधक (राजभाषा विभाग) श्रीमति एस श्रीदेवी, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री जयचंद्रन तथा श्री एम वी चंद्रसेकर दिनांक 11.10.2022 को पुरस्कार वितरण करते हुए।

बैंक ऑफ बड़ौदा अंचल कार्यालय चेन्नै में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन

नराकास (बैंक/वि.सं.), चेन्नै के सदस्य सचिव श्री अजय कुमार, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), इंडियन बैंक द्वारा पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा में हिन्दी दिवस का आयोजन

चेन्नई. बैंक ऑफ बड़ौदा में हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। बैंक के चेन्नई अंचलाधीन शाखाओं में 14 अगस्त से 14 सितंबर तक हिन्दी माह मनाया गया था। इसके दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था।

इस के बाद हिन्दी दिवस समारोह में विजेताओं को पुरस्कारों व प्रतिभागियों को प्रशंसा स्वरूप ज्ञापिकाओं का वितरण किया गया। अजय कुमार, सहायक महा प्रबंधक (राजभाषा) एवं सदस्य सचिव नराकास-बैंक, इंडियन बैंक, प्रधान कार्यालय मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। बैंक के एमडी एंड सीईओ संजीव का संदेश प्रदर्शन पैनल पर दिखाया गया, स्टाफ द्वारा राजभाषा प्रतिज्ञा ली गई। अंचल प्रमुख रंगराजन, महा प्रबंधक ने अपना पूरा भाषण हिन्दी में दिया। इस अवसर पर अंचल कार्यालय को नराकास का वर्ष 2019- 20 के लिए द्वितीय पुरस्कार का वितरण भी सदस्य सचिव द्वारा किया गया। उप अंचल प्रमुख के राजवेल, नेटवर्क उप महा प्रबन्धक चलपति नायडू, राजभाषा मुख्य प्रबन्धक वी एम गौरी एवं राजभाषा अधिकारी योगेश कुमार मिश्रा उपस्थित थे।

सदस्य कार्यालयों को प्राप्त पुरस्कार

वर्ष 2020-21 हेतु माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री निशिथ प्रामाणिक से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ।

दिनांक 04.12.2021 को हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा समारोह में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक/वि.सं.) चेन्नै को भारत सरकार के प्रतिष्ठित क्षेत्रीय पुरस्कार (तृतीय) से सम्मानित किया गया। समारोह में पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री अजयकुमार, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) व सदस्य सचिव नराकास (बैंक/वि.सं.) चैन्नै।

सदस्य कार्यालयों द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन

इंडियन बैंक कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै द्वारा सूरत में दिनांक 24.03.2022 को अखिल भारतीय राजभाषा सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में श्री के.पी. शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, श्री एस.एस.पी. रॉय, क्षेत्र महाप्रबंधक, इंडियन बैंक मुंबई, श्री प्राणेश कुमार, अंचल प्रबंधक, इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय, सूरत तथा नराकास (बैंक), सूरत के अध्यक्ष श्री अब्राह्म सेल्विन के साथ सूरत स्थित अन्य बैंकों के कार्यालय प्रमुख तथा राजभाषा अधिकारी उपस्थित रहे।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चेन्नै आंचलिक कार्यालय द्वारा दिनांक 07.02.2022 को त्रिवेन्द्रम क्षेत्रीय कार्यालय के संयोजन में एक दिवसीय अखिल भारतीय ई-सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में चेन्नै अंचल स्थित त्रिवेन्द्रम, कोची, मदुरै, कोयंबटूर, त्रिची एवं चेन्नै क्षेत्र के स्टाफ सदस्यों द्वारा सहभागिता की गई। यह सम्मेलन उप आंचलिक प्रबन्धक श्री वी. लक्ष्मण राव की अध्यक्षता एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चेन्नै के सदस्य सचिव एवं इंडियन बैंक के सहायक महाप्रबंधक-(राभा) श्री अजय कुमार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान सभी क्षेत्रीय प्रबंधक एवं देश भर के क्षेत्रीय एवं आंचलिक कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा अधिकारी जुड़े। इस अवसर पर स्टाफ सदस्यों के अवलोकनार्थ हिन्दी कार्य प्रदर्शनी एवं हिन्दी पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई।

दी न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्रधान कार्यालय द्वारा 21 और 22 मार्च 2022 को अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन 2021-22, अमृतसर में आयोजित किया गया। राजभाषा टीम, प्रधान कार्यालय के साथ 31 क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा अधिकारियों / राजभाषा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री रमाकांत अग्रवाल, महाप्रबंधक द्वारा की गई तथा श्री इंद्रजीत सिंह, महाप्रबंधक इस सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इसके साथ हमारे उप महाप्रबंधक श्री अनिल जैन और मुख्य प्रबंधक श्रीमती लता अय्यर उपस्थित रहीं।

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड के प्रधान कार्यालय, चेन्नै में राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण एवं गृह पत्रिका 'प्रगति' का विमोचन

दिनांक 22/12/2021 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवायें विभाग से उप सचिव श्री संजय कुमार तथा उप निदेशक श्री भीम सिंह द्वारा युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड के प्रधान कार्यालय, चेन्नै में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रश्नावली की समीक्षा की और राजभाषा कार्यान्वयन हेतु उचित सुझाव दिये। उप सचिव श्री संजय कुमार ने कम्पनी में राजभाषा के कार्यान्वयन में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और उन्होंने अपने भाषण में निम्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया:-

- नराकास की बैठकों में कार्यालय प्रमुखों का नियमित रूप से भाग लिया जाना।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठक को नियमित अंतराल पर करवाया जाना।
- धारा 3(3) व नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

इस अवसर पर प्रधान कार्यालय की गृह पत्रिका 'प्रगति' के 23वें अंक का विमोचन, कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के करकमलों से किया गया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक/वि.सं.) चेन्नै की 70वीं अर्धवार्षिक बैठक

दिनांक 21.02.2022 को नराकास (बैंक/वि.सं.) चेन्नै की 70वीं अर्धवार्षिक बैठक का ऑनलाइन आयोजन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष, नराकास

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड की हिन्दी गृह पत्रिका "प्रगति-24" का विमोचन

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री. एस.एम.एन. स्वामी

बैठक को संबोधित करते हुए युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कम्पनी लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री. अंगरूप सोनम

कार्यक्रम में प्रतिभागिता करते हुए श्री टी. धनराज, महाप्रबंधक (सी.डी.ओ./राजभाषा), श्री अरविंद मिश्र, उप महाप्रबंधक (मा.सं.प्र./राजभाषा), श्री अजयकुमार, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) व सदस्य सचिव नराकास (बैंक/वि.सं.), चेन्नै के सदस्य कार्यालयों यथा बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं बीमा कम्पनियों के स्टाफ सदस्य।

केनरा बैंक द्वारा नराकास (बैंक/वि.सं.), चेन्नै के तत्वावधान में हिन्दी दिवस के अवसर पर ऑनलाइन हिन्दी प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को श्री पलनिसामि, मुख्य महाप्रबंधक, केनरा बैंक, अंचल कार्यालय द्वारा पुरस्कृत किया गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा अंचल कार्यालय चेन्नै द्वारा विशेष कार्यशाला का आयोजन

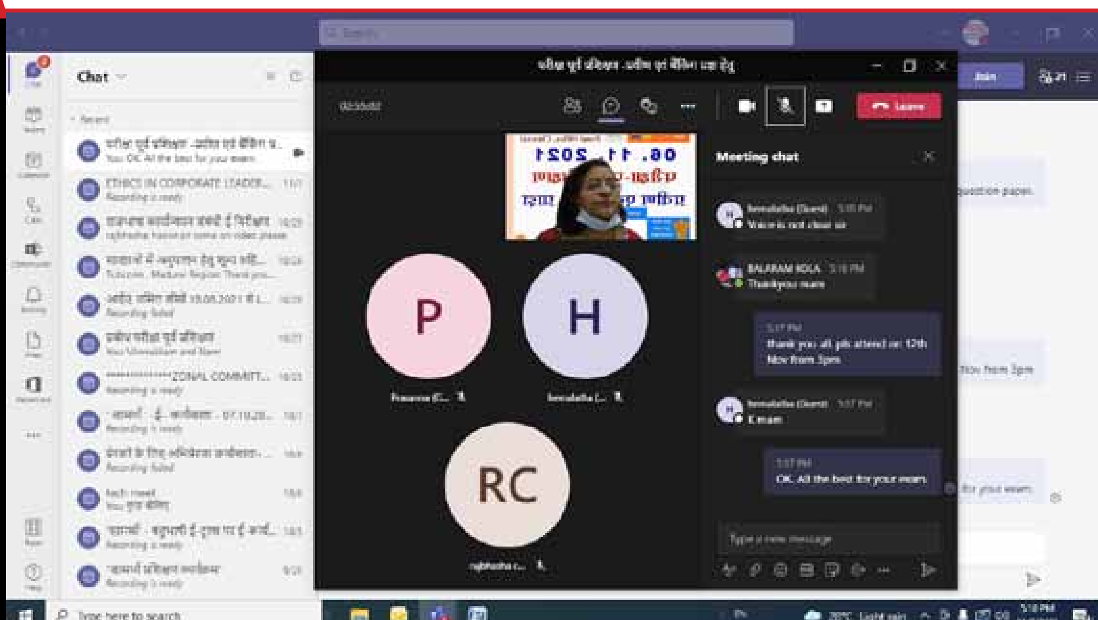

भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा कक्ष चेन्नै द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में बैंकिंग विषय पर हिंदी में वेबिनार का आयोजन

चेन्नै कार्यालय द्वारा 15 दिसंबर 2021 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में सदस्य बैंकों के सामान्य संवर्ग और राजभाषा अधिकारियों के लिए 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' विषय पर हिंदी में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। श्री शांति लाल जैन, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन बैंक एवं अध्यक्ष, बैंक नराकास चेन्नै ने, श्री एस.एम.एन. स्वामी, क्षेत्रीय निदेशक; डॉ. बालु केंचप्पा, आरबीआई लोकपाल; श्री शुभेन्दु पति, मुख्य महाप्रबंधक; डॉ. सिंगला सुब्बय्या, महाप्रबंधक/ उप प्रधानाचार्य (प्रभारी अधिकारी), आरबीएससी और श्रीमती जय भारती कण्णन, उप महाप्रबंधक, एचआरएमडी की उपस्थिति में वेबिनार का उद्घाटन किया। इस वेबिनार में सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के 45 अधिकारियों ने भाग लिया।

श्री शांति लाल जैन, प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन बैंक और अध्यक्ष, बैंक नराकास चेन्नै उद्घाटन भाषण देकर वेबिनार का शुभारंभ करते हुए।

श्री एस.एम.एन. स्वामी, क्षेत्रीय निदेशक सहभागियों को संबोधित करते हुए।

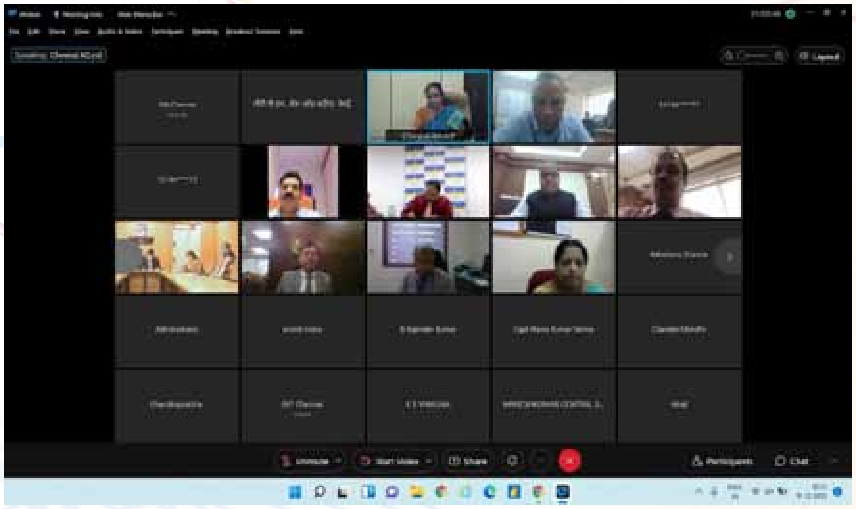

सहभागियों की एक झलक

हिन्दी साहित्य और अनुवाद

शुभम दीक्षित
सहायक प्रबन्धक
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केन्द्रीय कार्यालय

हम साहित्य के रास्ते राजभाषा विभाग में आ तो गए पर यहाँ आते आते साहित्य ना जाने कहाँ पीछे छूट गया, थोड़ा सा दिलासा था कि अनुवाद भी साहित्य की ही विधा है पर वक्त बीतने के साथ वो एहसास भी जाता रहा, कार्यालयी अनुवाद का साहित्य से मीलों का फासला है और इस बात का अंदाजा तब हुआ जब मैं 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों अंक लेकर आया और उन्हें पढ़ा। पढ़ने पर महसूस हुआ कि दोनों पत्रिकाओं में विषयवस्तु के साथ-साथ शीर्षकों में भी काफी अंतर था। अनुवादक ने अनुवाद करते समय सम्पूर्ण वाक्य विन्यास ही बदल दिया था, इतना अंतर? समझना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा मूल है तथा कौन सा अनुवाद। कुछ एक और अनुवाद पढ़े तो लगा कि कई जगह अनुवाद मूल से अधिक सुंदर तथा सरल था। तब समझ आया कि कार्यालयीन अनुवाद तथा साहित्यिक अनुवाद में कितनी भिन्नता है। साहित्यिक अनुवाद जितना कलात्मक और सुंदर है, कार्यालयीन अनुवाद उतना ही नीरस और शुष्क और ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि साहित्यिक अनुवाद में शब्दों की सीमा नहीं है परंतु कार्यालयीन अनुवाद की अपनी सीमाएं है तथा अपनी अलग भाषा शैली है कार्यालय में प्रत्येक शब्द का एक अलग एवं अद्वितीय अर्थ है।

हिन्दी, साहित्य में जितनी सरल, राजभाषा में उतनी ही बोझिल है और वजह है शब्दकोष। दरअसल ये शब्दकोश तैयार करना शब्दावली-आयोग तथा राजभाषा संबन्धित आयोगों आदि का काम था, ताकि अभिव्यक्ति कर सकने के योग्य हिन्दी को एक व्यापक स्वरूप के साथ एकरूपता प्रदान की जा सके। अगर डॉ जयंती प्रसाद नौटियाल जी के शब्दों में कहें तो **"हिन्दी बनाम राजभाषा के अघोषित शीत युद्ध का श्रीगणेश यहीं से होता है,** क्योंकि ऐसे आयोगों में भिन्न-भिन्न प्रदेशों के भाषाविदों, साहित्यकारों को नियुक्त किया गया ताकि परस्पर सहयोग से व्यावहारिक नजरिया अपना कर देश की जनता के अनुकूल हिन्दी का एक सर्वग्राही शब्दकोश तैयार किया जा सके"। लेकिन इस सबके बीच शायद उनका अहम आ गया और इस टकराव में हिन्दी पिस गई और मेरा मानना है कि इसी टकराव के फलस्वरूप ऐसे-ऐसे शब्दों का निर्माण हुआ, जिनके प्रयोग से हिन्दी भाषा का सहज-स्वभाविक रूप ही खो गया। यही वजह है कि हिन्दी तथा राजभाषा एक होते हुए भी भिन्न-भिन्न नजर आती हैं।

यहाँ मैं एक घटना के माध्यम से अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करना चाहूँगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में एक स्वतन्त्रता सेनानी को ब्रिटिश न्यायालय

के द्वारा फांसी की सजा हुई उस समय फांसी की सजा को सिर्फ To be hanged लिखा जाता था, सजा का ऐलान हो चुका था अब कुछ भी नहीं हो सकता था, तब चितरंजन दास जी ने अपनी सूझ बूझ से सेनानी को फांसी पर लटकने के तुरंत बाद फांसी से मुक्त करा दिया और वो बच गया, इस प्रक्रिया में न्यायालय के आदेश की तो अक्षरक्ष पूर्ति हो ही गई। साथ ही सेनानी को भी बचा लिया गया।

दास जी का तर्क था कि एक ही गलती के लिए किसी भी दोषी को दो बार दंडित नहीं किया जा सकता यह नियमों के विरूद्ध है। अतः उनके तर्क को कोई भी नहीं काट सका और ब्रिटिश न्यायालय को उस सेनानी को मुक्त करना पड़ा। इस घटना के बाद ही जघन्य अपराध के लिए कठोरतम दंड की भाषा में परिवर्तन किया गया तथा उसे "(To be hanged) फांसी पर लटकाएँ" से बदल कर "(To be hanged till death) मृत्यु तक फांसी पर लटकाएँ" किया गया। ठीक इसी प्रकार कार्यालयीन अनुवाद में एक शब्द का अंतर या एक शब्द की कमी अर्थ का अनर्थ कर सकती है। कार्यालयीन अनुवाद में भाषा का अपना एक अलग ही प्रवाह होता है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

जबकि इसके ठीक विपरीत साहित्यिक अनुवाद सिर्फ अर्थ के अंतरण का कार्य नहीं करता बल्कि यह तो पाठ का रूपांतरण करता है और इसी प्रक्रिया में अर्थ भी रूपांतरित हो जाता है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि साहित्यिक अनुवाद अपनी प्रक्रिया में शामिल भाषाओं को एक समान स्तर पर लाने का प्रयास भी करता है, और ऐसा करते हुए यह किसी भाषा विशेष की प्रभुता को भी समाप्त करने का प्रयास करता है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा।

"I think man ought to have faith or ought to seek a faith or else his life is empty, empty---"

"मुझे लगता है कि मनुष्य के पास एक आस्था होनी चाहिए, और कुछ नहीं तो उसे कोई विश्वास और आस्था खोज लेनी चाहिए वरना उसकी जिंदगी सूनी और खोखली हो जाएगी।"

इस अवतरण में जो बातें ध्यान देने योग्य हैं, वे हैं 'man' का अनुवाद यहाँ 'मनुष्य' किया गया और इस तरह से इसे लिंग जनित सीमा से मुक्त किया गया है जिससे अनुवाद का प्रभाव व्यापक हुआ है। अंग्रेजी वाक्यांश में जहाँ 'empty' शब्द का ही दो बार प्रयोग किया गया है, वहीं हिंदी अनुवाद में उसके लिए अनुवादक ने 'सूनी और खोखली' का प्रयोग कर स्थिति की मार्मिकता को बनाए रखा है।

जल्लीकट्टू

नगेन्द्र कुमार सिंह
प्रबंधक
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केन्द्रीय कार्यालय, चेन्नै

जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है, जिसमें बैल को काबू में किया जाता है। यह खेल काफी सालों से तमिलनाडु में लोगों द्वारा खेला जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति का पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस खास मौके पर जल्लीकट्टू के अलावा बैल दौड़ का भी काफी जगहों पर आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू' एक तमिल शब्द है, जिसकी उत्पत्ति 'कालीकट्टू' से हुई है। 'काली' का अर्थ कॉइन (Coin) अर्थात सिक्का से है और 'कट्टू' का तात्पर्य उपहार स्वरूप (Package) प्रदान किए जाने से है। प्राचीन तमिल परंपरा में लोग 'सांड' की भगवान शिव के वाहन के रूप में पूजा करते हुए और उन्हें गले लगाते हुए उनके सींगों में 'सोने-चांदी' के सिक्के पहनाते थे, जिसे तब 'कालीकट्टू' और बाद में 'जल्लीकट्टू' कहा जाने लगा। जल्लीकट्टू की प्राचीन प्रथा अब खेल एवं मनोरंजन के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में महिलाएं अपने वर को चुनने के लिए जल्लीकट्टू खेल का सहारा लेती थी। जल्लीकट्टू खेल का आयोजन स्वंयवर की तरह होता था, जो कोई भी योद्धा बैल पर काबू पाने में कामयाब होता था महिलाएं उसे अपने वर के रूप में चुनती थी। इस प्रकार से सांड पर काबू पाना शौर्य का प्रतीक बनाता चला गया और ये खेल साल दर साल जानलेवा होता चला गया। तमिलनाडु में प्रारंभ में यह प्रथा फसलों के पकने के अवसर पर प्राय: जनवरी-फरवरी के महीने में अथवा किसी त्योहार के अवसर पर मंदिरों के सामने संपन्न होती थी और आज भी हो रही है।

खेल की शुरूआत :-

ऐसा माना जाता रहा है कि है कि सिंधु सभ्यता के वक्त जो अय्यर और यादव लोग तमिलनाडु में रहते थे उनके लिए सांड पालना आम बात थी। बाद में यह साहस और बल दिखाने वाली बात बन गई। बाद में बैल को काबू करने वाले को इनाम और सम्मान दिया जाने लगा। किसी सांड को काबू करने की प्रथा लगभग 2,500 साल पुरानी कही जा सकती है।

बुल फाइट से अलग क्यूँ?

कई बार जल्लीकट्टू के इस खेल की तुलना स्पेन की बुलफाइटिंग से भी की जाती है लेकिन ये खेल स्पेन के खेल से काफी अलग है इसमें बैलों को मारा नहीं जाता और ना ही बैल को काबू करने वाले युवक किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल करते हैं।

जानवरों के प्रति हिंसा

संपूर्ण प्रकरण पर अध्ययन करने के बाद 'एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया' ने पाया कि 'जल्लीकट्टू' प्रथा या 'बैलगाड़ी-दौड़' या इसी प्रकार के अन्य आयोजनों में सांडों के साथ क्रूरता तथा बर्बरता का व्यवहार किया जाता है और उन्हें अनेक प्रकार से यातनाएं भी दी जाती हैं।

जल्लीकट्टू और राष्ट्रीय कानून

पशु अत्याचार निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 3 और 11 तथा अन्य संबंधित प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 15A(g) के साथ संज्ञान में लेते हुए समझा जाना चाहिए जिसके अनुसार जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्त्तव्य है। न्यायालय ने पशुओं/वन्य जीवों के जीवन को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मानव को प्राप्त 'जीवन एवं दैहिक' स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ते हुए निर्णीत किया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शब्द 'जीवन' को बहुत व्यापक अर्थ प्रदान किया गया है, जिसमें आधारभूत पर्यावरण में वन्य जीव को सम्मिलित करते हुए, जीवन के वे सभी प्रारूप सम्मिलित हैं, जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं और उनमें हस्तक्षेप किया जाना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है और पशु भी सम्मान व गरिमा के अधिकारी हैं। पशुओं के अधिकारों की व्याख्या करने में न्यायालय ने 500-600 ईसा पूर्व रचित ईश उपनिषद के इस सूत्र वाक्य को भी आधार बनाया है कि 'ब्रह्मांड अपने प्राणियों के साथ धरती से संबंधित है और कोई भी प्राणी एक-दूसरे से बड़ा नहीं है। इसलिए किसी भी प्रजाति को अन्य प्रजाति के अधिकारों और विशेषाधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए'।

ओआईई (OIE : World Health Organization of Animal Health) अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत पशुओं से संबंधित पांच स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करता है।

1. भूख, प्यास एवं कुपोषण से स्वतंत्रता
2. भय एवं कष्ट से स्वतंत्रता
3. शारीरिक एवं ऊष्मीय पीड़ा से स्वतंत्रता
4. दर्द, चोट एवं रोग से स्वतंत्रता
5. सामान्य आचरण अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता।

****उल्लेखनीय है कि भारत भी ओआईई का एक सदस्य है।**

जल्लीकट्टू और अंतर्राष्ट्रीय कानून

'जल्लीकट्टू' जैसी प्रथा मुख्यत: 'वन्य-जीवों' के अधिकारों को प्रभावित करती है, भले ही उसका 'प्रारूप' अलग हो परंतु इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'पशु अत्याचार' की श्रेणी में माना जाता है। पशु अत्याचार के निवारण के लिए सर्वमान्य किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का अभाव है, किंतु वन्य-प्राणियों के वर्ग विशेष पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन संपन्न हुए, जिनमें पक्षियों के संरक्षण के लिए घोषणा (1875), ह्वेल (मछली) के संरक्षण के कन्वेंशन (1931 एवं संशोधित कन्वेंशन 1946), वन्य-प्राणी से संबंधित कन्वेंशन (1990) तथा जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण कन्वेंशन (1992) मुख्य हैं। जर्मनी विश्व का संभवत: पहला देश है जिसने वर्ष 2002 में अपने संविधान में मानव के बाद 'और पशुओं' (and animals) शब्द जोड़कर मानव के साथ-साथ पशुओं को गरिमा (Animal Dignity) को प्रदान करना राज्य का कर्त्तव्य नियत किया है। ब्रिटेन (2006) और ऑस्ट्रिया (2010) ने भी इस विषय पर कानून बनाए हैं।

जानलेवा होता खेल

आंकड़ों के अनुसार 2010 से 2014 के बीच जल्लीकट्टू खेलते हुए 17 लोगों की जान गई थी और 1,100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। वहीं पिछले 20 सालों में जल्लीकट्टू की वजह से मरने वालों की संख्या 200 से भी ज्यादा थी। इस वजह से साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलटी टू एनिमल एक्ट के तहत इस खेल को बैन कर दिया था। जिसकी मांग एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पीपल फॉर द एथिक्ल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल (PETA), कॉमपैशन अनलिमिटिड प्लस एक्शन (CUPA) ने की थी। उनके साथ पशुओं के अधिकार के लिए बने काफी सारे संगठन भी इसमें शामिल थे।

प्रतिबंध

उच्चतम न्यायालय ने 7 मई, 2014 को दिए अपने एक निर्णय में तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रदेश जल्लीकट्टू (Jallikattu) प्रथा को कायम रखने से संबंधित तमिलनाडु जल्लीकट्टू विनियमन अधिनियम, 2009 (Tamilnadu Regulation of Jallikattu Act, 2009) के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करते हुए पूरे देश में जल्लीकट्टू अर्थात सांडों की लड़ाई (तमिलनाडु) या उससे संबंधित किसी भी खेल, प्रशिक्षण, मनोरंजन या सांड-दौड़ इत्यादि (महाराष्ट्र) को प्रतिबंधित कर दिया है तथा पशु अत्याचार निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act] 1960) एवं भारतीय संविधान की पूर्ण व्याख्या पशुओं अर्थात वन्य-जीवों के पक्ष में करते हुए स्पष्ट घोषित किया है कि पशु भी अपने विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के हकदार हैं।

- इस मामले में तमिलनाडु 'जल्लीकट्टू' विनियमन अधिनियम पर मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसमें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जल्लीकट्टू को राज्य में जारी रखने का निर्णय दिया गया था, के विरूद्ध अनेक याचिकाएं और अपीलें प्रस्तुत की गई थीं।

- इसी मामले में महाराष्ट्र राज्य के अंदर बैलगाड़ी-दौड़ (Bullock&cart race), खेल, मनोरंजन या प्रशिक्षण को प्रतिबंधित करने वाले केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधित शासनादेश को उचित बताने वाले बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध भी दायर अनेक अपीलों और याचिकाओं को एक साथ निपटाते हुए न्यायालय ने संयुक्त रूप से यह निर्णय दिया है।

- संपूर्ण प्रकरण पर अध्ययन करने के बाद **'एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया'** ने पाया कि 'जल्लीकट्टू' प्रथा या 'बैलगाड़ी-दौड़' या इसी प्रकार के अन्य आयोजनों में सांडों के साथ क्रूरता तथा बर्बरता का व्यवहार किया जाता है और उन्हें अनेक प्रकार से यातनाएं भी दी जाती हैं।

- यहाँ तक पाया गया कि उन्हें उत्तेजित करने के लिए शराब तक पिलाई जाती है फिर उन्हें अन्य सांडों के साथ लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है।

- इन घटनाओं में कभी-कभी अनेक सांड मर भी जाते हैं तथा दर्शक भी घायल होते हैं। इसलिए संयुक्त रूप में ये कृत्य/घटनाएं पशु अत्याचार निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पशुओं को प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

न्यायालय ने बोर्ड के तर्कों से सहमति व्यक्त करते हुए तथा इस संबंध में सांडों के प्रयोग को प्रतिबंधित कर केंद्र सरकार के शासनादेश दिनांक 11.07.2011 को उचित मानते हुए निर्णय दिया है कि 'जल्लीकट्टू', बैलगाड़ी-दौड़ और इस प्रकार की अन्य घटनाएं या कार्य पशु अत्याचार निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 3 तथा धारा 11(1) (क) का उल्लंघन करते हैं इसलिए केंद्र सरकार की अधिसूचना को कायम रखते हुए निर्देश दिया जाता है कि सांडों का प्रयोग न तो जल्लीकट्टू की घटनाओं में और न ही 'बैलगाड़ी-दौड़' के रूप में किया जाएगा।

वर्तमान के बदलते परिवेश में बीमा क्षेत्र में ऑनलाइन सेवाओं का महत्व

प्रकाश कुमार
उप प्रबंधक
परियोजना प्रकोष्ठ, प्रधान कार्यालय,
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बीमा क्षेत्र में ऑनलाइन सेवाएँ अर्थात्-डिजिटल सेवाएँ, अपने आप बीमा पॉलिसी का संचालन करना कहलाता है। पॉलिसी के बारे में सारी जानकारी ग्राहक वेबसाइट पर हर पल देख और जान सकते हैं, इसी को डिजिटल सेवाएँ कहा जाता है।

डिजिटल का मतलब संचालन से होता है, आज के इस बदलते युग में हर काम कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से होने लगा है जिसके कारण बहुत सारी चीजें ऑनलाइन या फिर डिजिटल हो रही है ऐसी कड़ी में बीमा भी है जिसमे डिजिटल सेवाएं शुरू हो रही हैं। आज के बदलते परिवेश और सामाजिक माहौल के मद्देनजर उपभोक्ता व्यवहार में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। वैश्वीकरण, इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने से ग्राहकों का नजरिया बदला है। आज हर संगठन में अपने ग्राहकों के लिए बाधारहित प्रयोगकर्ता के अनुभव के साथ बिजली की गति से उत्पाद और सेवाओं को वितरित करने की अपेक्षा रहती हैं। आज के ग्राहकों को सेवाओं की डिलीवरी तुरंत चाहिए और साथ ही अपनी खरीद की पल-पल की रिपोर्ट भी।

समय की मांग के मुताबिक, वित्तीय सेक्टर भी डिजिटाइजेशन की दिशा में प्रयास कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा और उत्पाद ग्राहकों को घर बैठे कैसे सुविधाजनक ढंग से मिले, आने वाले दिनों में बहुत सारे पोर्टल, खरीद, वितरण, और भुगतान को विकसित करने की प्रक्रिया डिजिटल की जा सकती है।

प्रौद्योगिकी ने बदला तरीका और लोगों का नजरिया

प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग ने व्यापार के पारम्परिक तरीकों में बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं और यह बदलाव आगे भी जारी रहेगा, मैनुअल प्रक्रिया के साथ डिजिटलीकरण के फायदों का लाभ उठाना किसी भी संगठन के लिए ग्राहकों व वितरकों के रिटर्न को अधिकतम करने का रास्ता बनता जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), बड़ा डेटा विश्लेषणात्मक - डिजिटल लर्निंग डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिससे ग्राहकों के संबंधों में बहुत ही तेजी से सुधार हो रहे हैं।

भारत में बीमा क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं के लाभ

आज के समय में प्रौद्योगिकी ने मानकीकरण और ग्राहकों को तत्काल और तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। ग्राहक इंटरनेट पर नेविगेशन करते हैं और एक एक वेबसाइट देखते हैं जो जानकारी पूर्ण और समझने में सरल हो, वेबसाइट या अनुप्रयोग का उद्देश्य ग्राहकों को मात्र जानकारी देना ही नहीं, बल्कि जानकारी संपन्न बनाना भी होना चाहिए। डिजिटल बीमा बिक्री का एक फायदा यह है कि ग्राहक को इसके बाद यह शिकायत नहीं रहती है कि उसे गलत पालिसी बेच दी गयी है। क्योंकि वो खुद समझ कर पालिसी का चयन करता है। डिजिटल बीमा विपणन पोर्टल का उद्देश्य ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित कर खरीद निर्णय को ट्रिगर करना एवं डिजिटल बीमा लेने में ही ग्राहकों का लाभ है, यह अवगत करना है।

डिजिटल इंडिया अभियान की वजह से अभी इंटरनेट उपयोग करने वालों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। दिसंबर 2017 में यहां इंटरनेट यूजर्स की संख्या 48.1 करोड़ थी। इसके अलावा शहरी इंटरनेट यूजर्स की संख्या जहां 29.5 करोड़ थी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 18.6 करोड़ था। हालांकि, इस समय बीमा का प्रसार बस तीन फीसदी है। इसके बावजूद यह अंतर तकनीक का उपयोग करने वाली आबादी से जुड़ने का मौका प्रदान करता है। वैश्विक ऑनलाइन खुदरा बहुराष्ट्रीय कंपनियां उचित मंच के जरिए, सही समय पर विभिन्न किस्म के खरीद अनुभव प्रदान कर ग्राहकों से संवाद कर रही है, ताकि अपने जैसी कंपनियों से आगे रहा जा सके। इसलिए वे सद्भावना योजनाओं के जरिए लगातार सकारात्मक अनुभव को आगे बढ़ाती रहती हैं।

ऑनलाइन बीमा के मुख्य फायदे

1. आपके हाथ में है ताकत :- हमें यह अनुभव है कि सिर्फ एजेंट की लुभावनी बातों में आकर बीमा खरीदने की जरूरत नहीं है। जब ऑनलाइन बीमा खरीदने की बात आती है तो ताकत आपके हाथ में है, आपको सभी सूचना ऑनलाइन मिल सकती है। आपको कौन सा प्लान सूट करेगा, यह भी आप पता कर सकते हैं। हमारी आदतों और जरूरत पर प्रीमियम की रकम निर्भर करती है।

2. ऑनलाइन चुकाएं प्रीमियम :- ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी में आमतौर पर प्रीमियम कम कोट किया जाता है. इसकी वजह यह है कि आप कंपनी से सीधे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इस वजह से कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर होने वाला खर्च बच जाता है। ऑनलाइन बीमा खरीदने में कंपनी के बहुत से खर्च बचते हैं, इस वजह से सभी छूट सीधे ग्राहक को मिलती है। यह ऑनलाइन बीमा खरीदने का सबसे बड़ा फायदा है। इसके अलावा आप प्रीमियम के हिसाब से बीमा प्लान चुन सकते हैं। अधिकांश बीमा कंपनियां सरल और उपयोग में आसान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं, जो प्रीमियम का भुगतान एक परेशानी मुक्त और त्वरित प्रक्रिया बनाती हैं। सुचारू लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षित और सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान मोड उपलब्ध हैं। इसके अलावा, आप तत्काल प्रीमियम उद्धरण प्राप्त करने, पॉलिसी ब्रोशर डाउनलोड करने, दावे दर्ज करने और ऑनलाइन माध्यम से अपने निवेश को ट्रैक करने में सक्षम हैं।

3. समय की बचत :- समय ही धन है। अगर आप भी इस कहावत पर भरोसा करते हैं, तो ऑनलाइन बीमा खरीदने में आप समय बचा सकते हैं। इसे खरीदना बहुत आसान है और ऑफिस जाकर खरीदने की तुलना में मामूली समय लगता है। डिजिटल युग में आप राह चलते हुए भी बीमा खरीद सकते हैं। ऑनलाइन बीमा के मामले में आप किसी भी समय खुद प्लान चेक कर सकते हैं। अगर आप आफॅ लाइन टर्म प्लान खरीदते हैं तो उसे देखना मुश्किल है, जबकि ऑनलाइन टर्म प्लान को कभी भी एक्सेस किया जा सकता है।

4. कम कागजी कार्रवाई :- ऑनलाइन बीमा खरीदने में आपको पेपरवर्क काम करना पड़ता है। अब तो आधार, पैन के साथ बस आपको आमदनी का सबूत अपलोड करना पड़ता है। ऑफलाइन बीमा में आपको बहुत से कागजात जुटाने पड़ते हैं। इसके अलावा कहीं आपके हस्ताक्षर नहीं हुए तो कहीं कोई फॉर्म नहीं भरा गया। कागजात अपलोड करने और उसके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत सरल है। ऑनलाइन बीमा खरीदना अब बहुत सुविधाजनक है।

5. ऑनलाइन मदद उपलब्ध - त्वरित सहायता :- पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन मदद बढ़ने की वजह से बीमा खरीदना सुविधाजनक हुआ है। सबसे पहले तो आप कई प्लेटफॉर्म पर इसकी तुलना कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन प्रीमियम चुकाने के लिए नोटिफिकेशन पर आते हैं। अगर आप प्लान को लेकर कन्फ्यूज हैं तो आपको 24 घंटे मदद मिल सकती है। लाइव चैट के साथ ही वीडियो कॉल के ऑप्शन भी आपकी मदद करते हैं। ऑनलाइन इंश्योरेंस वास्तव में लोगों के लिए एक वरदान की तरह है, यह भरोसेमंद है और आसान भी।

6. बढ़ा ऑनलाइन बीमा बाजार :- हाल ही में भारत के ऑनलाइन बीमा बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि दिखी है। वेब एग्रीगेटर के आने से तो स्थिति ही बदल गई। वेब एग्रीगेटर के घरेलू बाजार में प्रवेश से पहले

बीमा कंपनियां वितरण के लिए सिर्फ पारंपरिक माध्यमों पर ही निर्भर थी। हालांकि यह उपभोक्ताओं से जुड़ने में कारगर है, लेकिन तुलनात्मक आंकड़ों की कमी के कारण उचित जानकारी के आधार पर फैसला करने का न्यूनतम विकल्प प्रदान करता था। तकनीक के दौर में ग्राहक देरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे अक्सर ऑनलाइन खरीद करते हैं, इसलिए जीवन बीमा पॉलिसियों में भी इसी तरह की सुविधा चाहते हैं। वेब एग्रीगेटर इसके जरिए मूल्य, लागत, सेवा, उपभोक्ता समीक्षा आदि संबद्ध सूचनाओं की पेशकश कर इस समस्या का समाधान करते हैं।

7. पैसे का मूल्य :- मूल्य के प्रति संवेदनशील ग्राहकों के लिए इंटरनेट पैसे के लिहाज से भी महत्वपूर्ण और सस्ता माध्यम है। इससे समय तो बचता ही है, यह वितरण लागत कम करता है, जिससे बीमाकर्ता को उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है।

8. धोखाधड़ी से मुक्ति :- एजेंट या ब्रोकर के बगैर उपभोक्ता अपने फैसले के आधार पर लाभ के अवास्तविक दावे के झांसे में आये बिना पालिसी खरीद सकते हैं।

9. तुलना का लाभ :- मूल्य, गुणवत्ता और अन्य विशिष्टताओं के आधार पर विभिन्न बीमा उत्पादों के बीच निष्पक्ष तुलना या विश्लेषण से उपभोक्ताओं को अपनी निजी जरूरत के मुताबिक हर उत्पाद के फायदे और नुकसान के आकलन का भी मौका मिलता है।

10. सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान :- उपभोक्ता क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और अन्य विकल्पों के जरिए भुगतान कर सकते हैं। आप अक्सर सोच सकते हैं कि ऑनलाइन बीमा प्रीमियम का भुगतान कैसे करें।

11. एक ही जगह पर सभी सुविधाएं :- ऑनलाइन ग्राहकों को एक ही जगह पर लागत, सुविधा, गति, सुरक्षा और सेवा के फायदे मिलते हैं। सुविधा ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन हस्तांतरण से खरीदना सुविधाजनक और आसन हो जाता है। इसके अलावा बची प्रक्रिया घर से पूरी हो जाती है।

12. सस्ती पालिसी की मांग तेज :- क्या आप अपने आप से पूछते हैं, क्या ऑनलाइन बीमा उद्धरण सही है; कम प्रीमियम के कारण? आमतौर पर, ऑनलाइन पॉलिसी अक्सर ऑफलाइन प्लान की तुलना में 30% से 70% सस्ती होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीमा कंपनियां ऑनलाइन पॉलिसी बेचते समय अपने ओवरहेड्स को कम करने और एजेंटों के कमीशन को खत्म करने में सक्षम हैं।

13. ऑनलाइन हस्तांतरण बढ़ने का अनुमान :- आने वाले दिनों में ऑनलाइन हस्तांतरण बढ़ने वाला है। केंद्र जनता के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी वित्तीय सुरक्षा योजनाओं के लिए ऑनलाइन मंच की विशाल क्षमता का फायदा उठाने के तरीकों की तलाश कर सकता है। आधार और ई-केवाईसी जैसी प्रमुख डिजिटल इंडिया परियोजनाओं की अखिल भारतीय सफलता सचमुच प्रेरणादायक है। साथ ही प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा ने उच्च गति वाले इंटरनेट को सस्ता बना दिया है।

दुनिया बदल रही है, डिजिटल रूप से। हम कम मानवीय हस्तक्षेप के युग की ओर बढ़ रहे हैं। तेजी से विकसित हो रही तकनीकों ने उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारी रूकावटें ला दी है। हम स्वायत्त कारों, कम भुगतानों से संपर्क करने और चैटबॉट देख रहे हैं जो लोगों को अपने धन और निवेश का प्रबंधन करने की सलाह देते हैं। नेटफ्लिक्स, उबर, ओला, अमेजन और कई अन्य संस्थाओं ने अपने उद्योग क्षेत्रों को हमेशा के लिए प्रभावी और सरल विचारों के साथ बदल दिया है। बीमा उद्योग उपभोक्ताओं, नियामक और डिजिटल परिदृश्य से जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न तरीकों से डिजिटल परिवर्तन को अपना रहा है।

वैश्विक बीमा उद्योग के नेता डिजिटल उद्यम पोर्टल विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो भविष्य की जरूरतों के लिए बनाए गए हैं। वे भविष्य कहने वाला विश्लेषण के साथ भविष्य की मांगों को पूरा करने, उत्पादों के वित्तीय प्रदर्शन पर रिपोर्ट, और बीमा व्यवसाय के सभी सूक्ष्म और मैक्रो संकेतकों के बारे में एक विहंगम दृश्य प्रदान करने की योजना बनाते हैं।

इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग

रोहित स्टैनली सूरज
सहायक प्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी, युनाइटेड इंडिया
इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नै

अब वह दौर नहीं रहा, जहां व्यक्तिगत रूप में बैंक लुटेरों द्वारा लूटे जाते हैं। आज के समय में साइबर क्राइम कहीं एक गुमनाम एक छोटे से कमरे के छोटे से अत्याधुनिक कंप्यूटर से हो सकता है।

आज के दौर में इंटरनेट से उपयोगिता का इंकार नहीं किया जा सकता। इंटरनेट का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है जैसे व्यापार, स्कूल और हमारे प्रतिदिन के जीवन में। आजकल भारत जैसे विकासशील देशों में भी इंटरनेट यूजर की तादाद बहुत तेजी से बढ रही है। भारत में एक संस्था ICUBE की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल अपनाने और उपयोग के अनुसार 40 प्रतिशत आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है, जो कि इसे दुनिया में चाइना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा इंटरनेट यूसर्स वाला देश बनाता है। इंटरनेट शक्तिशाली और बहुपयोगी साधन है, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे हमें गाड़ी चलाते वक्त अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, ठीक वैसे ही हमें कुछ बुनियादी सावधानी बरतने की आवश्यकता है –

1. पासवर्ड :- हमेशा ध्यान रखें कि पासवर्ड मजबूत हो और नियमित समय से बदलते रहें। अगर आप कमजोर पासवर्ड रखते हैं या ऐसा पासवर्ड जिसे आसानी से सोचा जा सके तो आप खुद मुसीबत को न्यौता देते हैं। इसका भी जरूर ध्यान रखें कि अलग अलग अकाउंट का पासवर्ड भी अलग अलग ही हो।

2. एकांतता पर आक्रमण :- सोशल नेटवर्क जानकारी में आपके द्वारा दी गई जानकारी सीमित होनी चाहिए। यहां सोशल नेटवर्क फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, अधिकांश उपयोगकर्ता उनके लिए फेसबुक द्वारा प्रदान की गई गोपनीयता सेटिंग्स से अनजान हैं। यदि हम सामाजिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हमारी जानकारी को सीमित करते हैं तो हम अपनी हित की रक्षा कर सकते हैं।

3. डेटा बैकअप :- साइबर क्रिमिनल्स आपके कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, जिससे आप अपनी कुछ अहम जानकारी, फोटोज इत्यादि खो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि हमेशा नियमित रूप से अपने डेटा का बैकअप लें।

4. आइडेन्टिटी थेफ्ट :- पहचान की चोरी में मालवेयर का बहुत बडा योगदान होता है क्योंकि कई हानिकारक प्रोग्राम, जैसे कि स्पाइवेयर और केयलोग्गेर्स, विशेष रूप से इंटरनेट पर हस्तांतरित जानकारी को लॉग करने के लिए

डिजाइन किए गए हैं। साइबर हैकर्स कंप्यूटर उपयोगकर्ता के बैंकिंग खाते की जानकारी जैसे संवेदनशील डेटा एकत्र करने के लिए मालवेयर, कीलॉगर या स्वाइवेयर एप्लिकेशन का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के प्रोग्रामों का पता लगाने के लिए हमेशा एक प्रतिष्ठित एंटीवायरस का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है।

स्पाइवेयर का पता लगाने और हटाने के बारे में सक्रिय होने के नाते, केयलोग्गेर्स और अन्य मालवेयर आपके कंप्यूटर पर संग्रहीत आपके व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं। कुछ मालवेयर प्रोग्राम आपके सिस्टम को एक दूरस्थ साइबर क्षेत्र में खोलने की क्षमता रखते हैं, जहां किसी भी संग्रहीत जानकारी को आपके बारे में कभी भी पता किए बिना पहुंचा जा सकता है जब तक कि बहुत देर हो चुकी हो।

5. सुरक्षित ब्राउजिंग करें :- यदि आप किसी भी व्यक्तिगत जानकारी या बैंकिंग साइटों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक कम्प्यूटर का उपयोग करते हैं, तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि कम्प्यूटर पूरी तरह सेफ है। अपनी पासवर्ड को कभी भी अपनी सुविधा के लिए ब्राउजर में सेव नही करें। यह कभी भी सुझाव नहीं दिया जाता है कि आप किसी भी निजी जानकारी का उपयोग करने के लिए एक सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करें। यदि आप दूसरों को उसी खाते या प्रोफाइल तक पहुंचने देते हैं, तो अपने स्वयं के व्यक्तिगत कम्प्यूटर का उपयोग करना एक जोखिम हो सकता है।

6. सुरक्षित साइटों से ऑनलाइन खरीददारी करें :-

सिक्योर सॉकेट्स लेयर्स सुनिश्चित करता है कि इंटरनेट प्रसारण एन्क्रिप्ट किया गया है और संगठन की पहचान सत्यापित करता है। यदि मानक प्रारूप के बजाय एड्रेस बार में साइट के माध्यम से उपयोग करता है तो उपभोक्ता इसे सत्यापित कर सकते हैं।

उपभोक्ताओं को अपने ब्राउजर के पैडलॉक से परिचित होना चाहिए, खासकर चेकआउट प्रक्रिया के दौरान या व्यक्तिगत जानकारी की आपूर्ति करते समय।

7. संदिग्ध संदेश से सावधान रहें :- आपके ईमेल या सोशल नेटवर्किंग साइटों में आए लिंक में क्लिक न करें अगर आप भेजने वाले को नहीं जानते। लिंक पर आप के एक क्लिक करने से साइबर क्रिमिनल्स आपके कम्प्यूटर में हानिकारक मालवेयर इंस्टॉल या स्थापित कर सकता है।

आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत होती है। न केवल ऑनलाइन बल्कि भौतिक दुनिया में भी खुद को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। यदि उपयोगकर्ता अपने कार्यों को रोकने और उन पर विचार करने के लिए थोड़ा अधिक समय लेते हैं, तो उनमें से अधिकांश को टाला या कम से कम किया जा सकता है। आखिरकार, हर कोई अपने डेटा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

यदि आपको संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो आपको इसकी सूचना तुरंत उचित अधिकारियों को देनी चाहिए।

मोबाइल व्रत

आशीष कुमार शुक्ल
वरिष्ठ प्रबंधक
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय, चेन्नै

आज न जाने क्या मन में आयी
मोबाइल व्रत रखने की कसम खाई
सोचा एक दिन ऐसा मनाऊँ
मोबाइल को हाथ लगाना तो
दूर देख भी न पाऊँ।

दिन चुना रविवार
सुबह से आरम्भ हो गया मेरा व्रत मोबाइल
शुरू में तो अटपटा लगा क्योंकि उठते ही
सबसे पहला क्रियाकलाप मोबाइल निहारना होता है।

किस-किस ने मुझे याद कर शुभ प्रभात संदेश भेजे
उसके प्रति उत्तर में मैंने देरी तो नहीं कर दी
सारे जग का अवलोकन होता है।

सच कहूँ तड़प तो बहुत लगी थोड़ी सी
देख लूँ थोड़ा सा जान लूँ
जैसे निर्जला व्रत में पानी की तलब होती है
ऐसी तलब मोबाइल देखने की मन में उमड़ रही थी
इन्द्रियों को वश में रखना ही तो उद्देश्य था व्रत का।

बिना मोबाइल देखे शाम हो गई थी
अपने अंतर्मन में झाँकने की
पूरी हो गई थी क्रिया
और नया ज्ञान प्राप्त करने की पूर्ण हुई प्रक्रिया।

बच्चे हैरान थे मेरा साथ पाकर
पति हैरान थे मनपसंद नाश्ता पाकर
मैं स्वयं हैरान थी
दिमाग का खालीपन देखकर।

अब मैं सोच रही थी
कितना कीमती समय गवाया
जो समय देना था अपनों को
मोबाइल देखने में बिताया।

किन्तु अकेलेपन का साथी भी तो हमने ही इसे बनाया
पास बैठे रिश्ते नहीं जानते मोबाइल पर बने दोस्त ही
सच्चे नजर आते
सबको सलाह है मेरी
सप्ताह में एक दिन जरूर मोबाइल व्रत मनाएँ।

अपने जो दूर हो गये हैं
व्यक्तिगत रूप में
उनसे मिलने जाएँ कुछ उनकी सुनें कुछ अपनी सुनाएँ
जीवन बहुत छोटा है
मोबाइल के गुलाम होकर न गवाएं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक/वि. सं.) चेन्नै के तत्वावधान में इंडियन बैंक द्वारा दिनांक 23 एवं 24 दिसंबर 2021 को आयोजित दो दिवसीय हिन्दी कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री संजय कुमार, उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

कार्यशाला में उपस्थित मुख्य अतिथियों एवं प्रतिभागियों का समूह चित्र।

हिन्दी का विकास - राष्ट्र का विकास

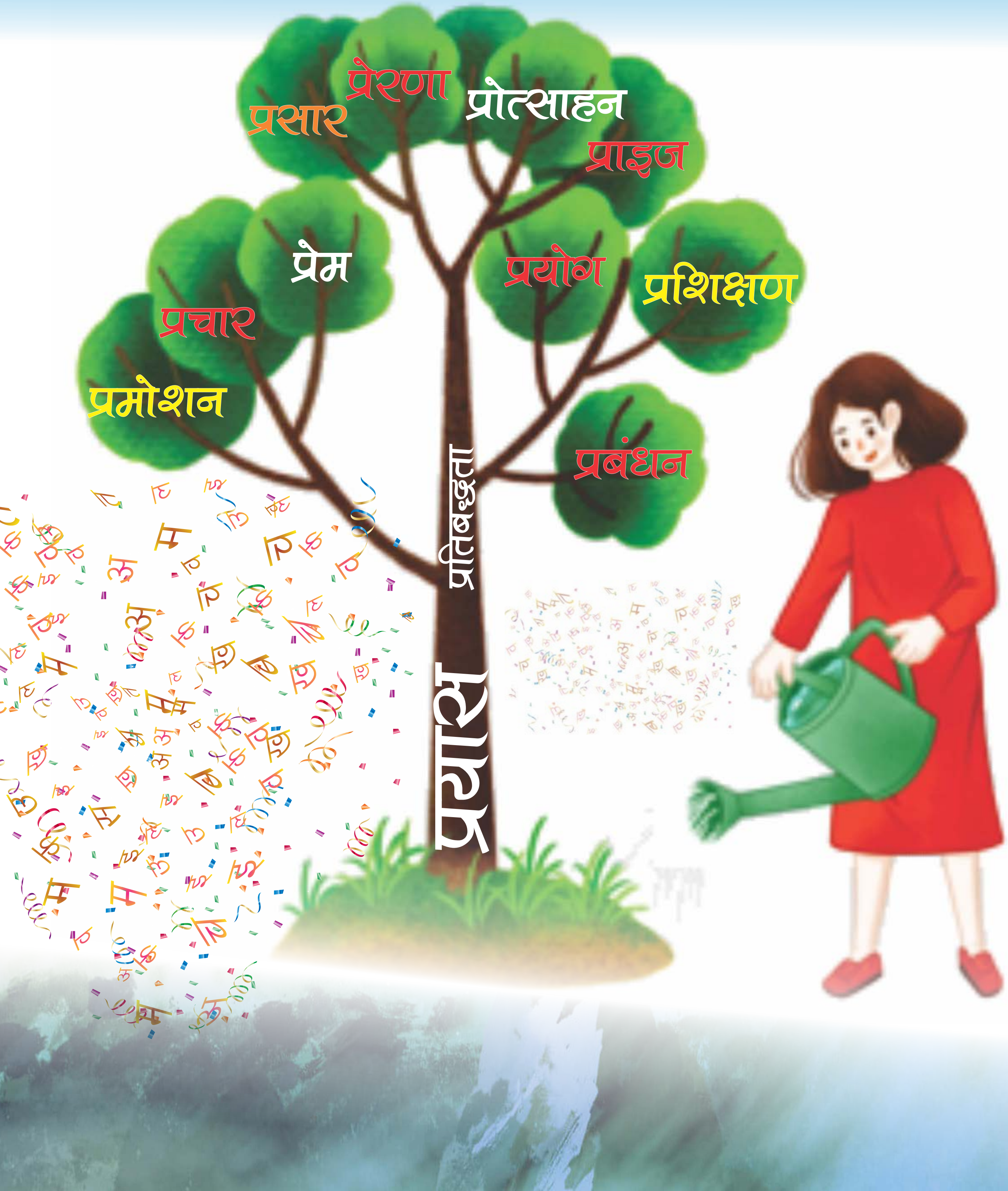

R.N. GRAPHIC - 8010872289